धर्म समाज कॉलिज

अलीगढ़-202 001

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से सम्बद्ध

(Accredited B^{++} by NAAC)

College with Potential for Excellence (CPE) Awarded by UGC, New Delhi

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	कॉलिज संस्थापक का परिचय	2
2.	कॉलिज का परिचय	2–5
3.	प्रवेशार्थियों के लिए अति आवश्यक सूचनाएँ	6–7
4.	विभिन्न संकायों के अध्ययन विषय	8–13
5.	स्ववित्त पोषित पाठयक्रम	14–15
6.	विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्थान	16
7.	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद (प्रयागराज)	17
8.	प्रवेश नियम, निषेध एवं निरस्तीकरण	18–19
9.	शैक्षणिक कैलेन्डर	20
10.	प्रवेश नियमावली–राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़	21–32
11.	अनुमोचन, विद्यार्थी सहायता कोष तथा छात्रवृतियाँ	33–34
12.	विद्यार्थियों द्वारा ध्यान देने तथा पालन करने हेतु नियम	35–36
13.	विशिष्ट योजनाएँ व अन्य सुविधायें	37–38
14.	महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी व विभिन्न समितियों के समन्वयक	39
15.	शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर वर्ग	40–42
16.	वार्षिक शुल्क विवरण तथा सारणी	43–44
17.	प्रवेश फार्म	

1. कॉलिज संस्थापक का परिचय

'धर्म समाज' मात्र एक महाविद्यालय का ही नहीं, अपितु एक संस्था–समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका गौरवशाली इतिहास अत्यन्त व्यापक एवं प्रेरणादायक है। जिज्ञासुओं की जानकारी के लिये यहाँ इस महान संस्था–समूह और उसके **संस्थापक दानवीर राय बहादुर बद्रीप्रसाद जी** का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

धर्म समाज संस्था–समूह के संस्थापक राय साहब जी का जन्म स्व0 लाला राम नारायण जी के समृद्ध परिवार में आगरा में हुआ था। आपके पूर्वज मूलतः नारनौल के निवासी थे, जो किसी समय नारनौल छोड़कर आगरा आ बसे थे। राय साहब जी का जन्म आगरा में ही हुआ, किन्तु वे वहाँ स्थायी रूप से न रहे और दिल्ली चले गये। सन् 1856 में उन्हें राजनीतिक कारणों से दिल्ली छोड़कर अलीगढ़ आना पड़ा और अपने तपस्वी जीवन की शानदार यात्रा के अन्तिम दिन, अर्थात 9 अगस्त, सन् 1897 तक अलीगढ़ में रहे। इस प्रकार सन् 1856 से सन् 1897 की 41 वर्ष की दीर्घावधि के लिये अलीगढ़ ही उनका कर्मस्थल रहा। इन 41 वर्षों में राय साहब जी के शिक्षा–क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान से अलीगढ़ की प्रतिष्ठा में चार–चाँद लग गया। अलीगढ़ का शैक्षिक–परिदृश्य **राय बहादुर बद्रीप्रसाद जी** के ऋण से कभी उऋण हो सकेगा, यह सर्वथा असम्भव प्रतीत होता है। **राय साहब जी** वैदिक धर्म से अभिप्रेरित थे और महर्षि दयानन्द के सच्चे अनुयायी थे। फाल्गुन बदी सप्तमी सं0 1927 वि0 (सन् 1870 ई0) के दिन उनकी सत्प्रेरणा एवं प्रयास के फलस्वरूप 'सत्य धर्म समाज' नामक एक सभा की स्थापना हुई, जिसकी नियमावली में सभा के प्रथम प्रयोजन का उल्लेख इन शब्दों में किया गया था – ''सर्वोत्तम वेदोक्त धर्म तथा भक्ति एवं ज्ञान की प्रवृत्ति और अविद्या महामोह और अधर्म मार्ग की निवृत्ति का उपाय करना।'' पाँचवें उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया गया था – ''संस्कृत भाषा एवं साहित्य की अभिवृद्धि के निमित्त पाठशाला की स्थापना को सुनिश्चित करना।'' सभा के ये लक्ष्य मानो राय साहब जी के जीवन–ध्येय ही बन गये, जिनकी सम्प्राप्ति के लिये उन्होंने अपने जीवन के 41 बहुमूल्य वर्षों के अतिरिक्त अपना सर्वस्व–तन, मन और धन अर्पित कर दिया। राय साहब जी ने शिक्षा के माध्यम से वैदिक धर्म, संस्कृति तथा संस्कृत भाषा का प्रचार–प्रसार और हिन्दू समाज का सुधार करने के लिये न केवल **सत्य धर्म समाज** की स्थापना की, अपितु **'धर्म समाज पत्त'** नामक एक पत्रिका भी निकाली और उसका सम्पादन किया । हिन्दू समाज का सुधार करने के उद्देश्य से उन्होंने सन् 1868 में 'इण्डियन लीग' नामक एक संगठन भी खड़ा किया। सन् 1856 में दिल्ली से अलीगढ़ आने के बाद **राय साहब जी** ने अचल ताल के पास अपने 'अचल कोठी' नामक भवन का निर्माण कराया और वकालत को अपना व्यवसाय बनाया। सम्प्रति धर्म समाज कॉलिज जिस भू–भाग पर अवस्थित है, वह वस्तुतः लाला राय बद्री प्रसाद जी की कोठी और वाटिका का ही भू–भाग है। सन् 1909 में जब धर्म समाज हाई स्कूल की स्थापना हुई, तब **राय साहब जी** की कोठी और वाटिका स्कूल के लिये दान कर दी गयीं। इस समय धर्म समाज इण्टर कॉलिज जिस भू–भाग पर विद्यमान है, वहाँ पहले एक सरकारी मिडिल स्कूल चलता था। सन् 1947 में जब **धर्म समाज महाविद्यालय** अस्तित्व में आया तब धर्म समाज इण्टर कॉलिज को मिडिल स्कूल वाले भवन एवं भू–भाग पर स्थानान्तरित किया गया और सेठजी की कोठी तथा वाटिका वाले भवन तथा भू–भाग पर धर्म समाज महाविद्यालय का शुभारम्भ किया गया। यह महान् दानवीर, शिक्षा–प्रेमी, समाज सुधारक एवं धर्मनिष्ठ राय बहादुर बद्री प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है।

2. कॉलिज का परिचय

कॉलिज स्थापना के इतिहास में एक अविस्मरणीय पल स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया, जब राय साहब जी ने अपने धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक सपनों को साकार करने के लिये फाल्गुन बदी 7, सम्वत् 1927 विक्रमी (सन् 1870 ई0) को 'सत्य धर्म समाज' नामक संस्था की स्थापना की। सत्य धर्म समाज की स्थापना के ठीक 26 दिन बाद चैत्र बदी 3 संवत्

1927 विक्रमी को धर्म समाज संस्कृत पाठशाला की नींव रखी गयी। आज वही संस्कृत पाठशाला एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर विविध शाखाओं–प्रशाखाओं में प्रस्फुटित हो चुकी है जिनका विवरण निम्नवत् हैं :

1. वटवृक्ष : धर्म समाज संस्कृत पाठशाला : सन् 1870

(सम्प्रति धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय)

2. शाखा-प्रशाखा :

1.	धर्म समाज हाई स्कूल	:	सन् 1909
2.	धर्म समाज इण्टर कॉलिज	:	सन् 1929
3.	धर्म समाज स्नातक महाविद्यालय	:	सन् 1947
4.	धर्म समाज स्नातकोत्तर महाविद्यालय	:	सन् 1953
5.	धर्म समाज बाल मन्दिर सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल	:	सन् 1993
6.	धर्म समाज कॉलिज ऑफ फार्मेसी	:	सन् 2020

सम्पूर्ण भारत में सुविख्यात, धर्म समाज महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालयों में अग्रगण्य है। यह अचल तालाब के समीप जी0 टी0 रोड, अलीगढ़ पर स्थित है। यदि जी0 टी0 रोड पर खड़े होकर कॉलिज के प्रवेश–द्वार से देखा जाय तो उसके ठीक सामने गाँधी वाटिका के आगे लाला राय साहब बद्री प्रसाद जी की कोठी दिखायी देती है, जिसके निचले तल में प्राचार्य कक्ष तथा कार्यालय और ऊपरी तल में धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय स्थित है।

महाविद्यालय का दृष्टिकोण :

- मानवीय मूल्यों के प्रति उत्तरदायी एवं रोजगार के प्रति जागरूक नागरिकों का निर्माण करना, जो समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।
- छात्र–छात्राओं को गुणात्मक एवं उत्कृष्ट शैक्षिक परिवेश उपलब्ध कराना।
- शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को ज्ञान के विकास की प्रक्रिया में सार्थक और दृढ़संकल्पित योगदान देने योग्य बनाना।
- अकादमिक कार्यक्रमों के प्रतिपादन हेतु गत्यात्मक, नवीन और मौलिक विचारों को बढ़ावा देना।
- विद्यार्थियों को व्यक्तिगत–मतभेद भुलाकर लचीले और प्रगतिशील आदर्शों के अनुगमन के लिए प्रोत्साहित करना।
- ऐसे नैतिक मूल्यों से ओत–प्रोत स्नातकों का निर्माण करना, जो रचनात्मक कौशल, व्यावसायिक क्षमता, सामाजिक जागरूकता से ओत–प्रोत हों।
- विद्यार्थियों को शोध के नवीन क्षेत्रों की ओर अभिप्रेरित करना।

महाविद्यालय का ध्येय :

- परिसर को स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल बनाये रखना।
- रैगिंग मुक्त परिवेश का निर्माण सुनिश्चित करना।
- अध्ययन–अध्यापन के उत्कृष्ट परिणामों के लिए अनुशासन बनाए रखना।
- जाति, धर्म, लिंग, सम्प्रदाय आदि से मुक्त होकर छात्रों में समानता और स्वतंत्रता के भावों का विकास सुनिश्चित करना।
- महाविद्यालय के भवन, प्रयोगशालाओं, कक्षों तथा मूलभूत सुविधाओं का निरन्तर नवीनीकरण और मूल्यांकन करना।

महाविद्यालय में वर्तमान में अग्रांकित पाँच संकायों, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पोषित पाठ्यक्रमों, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के पाठ्यक्रमों को संचालित करने की समुचित व्यवस्था है–

संकाय (Faculty)

1.	भाषा संकाय	:	अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत
2.	कला, मानविकी एवं सामाजिक–विज्ञान–संकाय	:	अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, इतिहास, पुस्तकालय एवं सूचना, राजनीति विज्ञान, शारीरिक–शिक्षा, मनोविज्ञान, रक्षा एवं स्त्रातजिक–अध्ययन
3.	विधि संकाय	:	एल.एल.बी., बी.ए.एल.एल.बी., एल.एल0एम0
4.	विज्ञान संकाय	:	वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, जन्तु–विज्ञान, गृह–विज्ञान
5.	शिक्षक–शिक्षा–संकाय	:	बी0एड0, एम0एड0
6.	वाणिज्य–संकाय	:	बी0कॉम., एम0कॉम0,
7.	प्रबंधन–संकाय	:	बी0बी0ए0, पी0जी0डी0बी0एम0
8.	ललित–कला एवं प्रदर्शन कला संकाय	:	ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग, बी0एफ0ए0
9.	व्यवसायिक–अध्ययन–संकाय	:	बी0सी0ए0, बी.कॉम. (वोकेशनल), बी.वाक. (I.T.), बी.वॉक (रिटेल मैनेजमेण्ट), डिप्लोमा इन हेल्थकेयर

उपर्युक्त संकायों में कुल 25 विषयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिनमें 19 विषयों में स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है।

कॉलिज में नियमित स्वीकृत शिक्षकों की संख्या 161 है तथा नियमित स्वीकृत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या 122 है। महाविद्यालय में छात्रों की संख्या लगभग 9000 है। महाविद्यालय में समस्त स्नातकोत्तर विभागों में उच्चस्तरीय शोध–कार्य भी अनवरत जारी है। विभिन्न विभागों में अलग–अलग योजनाओं के अन्तर्गत शोध–अनुदान भी कॉलिज को मिलते रहते हैं।

सभी विभाग अलग–अलग भवनों में संचालित हैं। छात्रों के लिये सुव्यवस्थित, सुविकसित प्रयोगशालाएँ–पुस्तकालय, खेल–कूद का मैदान एवं जिम्नेजियम हॉल आदि की समुचित व्यवस्था है। विगत वर्षों में कॉलिज के छात्र–छात्राएँ विश्वविद्यालय एवं प्रादेशिक स्तर पर शिक्षा एवं खेल–कूद में अपनी योग्यताओं के परचम लहराते रहे हैं। उच्चस्तरीय शिक्षण, अनुशासन, परीक्षा–परिणाम एवं अन्य उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार कॉलिज को **'मेरिट ग्राण्ट'** से भी पुरस्कृत किया है।

कॉलिज में शैक्षिक सुविधाओं के अतिरिक्त अनेक पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ भी संचालित की जाती हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण एवं समुचित विकास के लिये वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, कवि सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, निबन्ध एवं कविता–पाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। छात्रों के लेख, कविताएँ व लघु प्रसंगों का कॉलिज पत्रिका 'प्रदीप' में प्रतिवर्ष प्रकाशन किया जाता है। कॉलिज अपना पंचसप्तति महोत्सव भी मना चुका है। एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा रोवर्स रेंजर्स इकाइयाँ छात्र/छात्राओं के बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण में अपना प्रतिबद्ध योगदान देती हैं और सेवाओं के अलग–अलग अवसर भी उपलब्ध कराती हैं। बदलते समय के अनुरूप विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने हेतुं कॉलिज द्वारा चलाये गये लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा, व्यावसायिक प्रबंधन डिप्लोमा एक बेहतरीन सुअवसर है। समयानुसार महाविद्यालय द्वारा नए पाठ्यक्रमों को भी स्थान दिया जाता है। स्ववित्तपोषित व्यवस्था के अर्न्तगत स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्क्रमों का भी महाविद्यालय द्वारा संचालन हो रहा है। नई शिक्षा–नीति के अर्न्तगत भी कई स्वीकृत रोजगारपरक कार्यक्रमों को प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ MOU द्वारा कॉलिज में लागू किया गया है। जिससे छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम सुविधा के साथ Easy Access का लाभ भी मिल सके। आने वाले समय में भी महाविद्यालय आवश्यकतानुसार नवीन योजनाओं को स्थापित करने के लिए तत्पर रहेगा। धर्म समाज महाविद्यालय प्रदेश के प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में से एक है। संगठित कार्यप्रणाली की परम्परा का निर्वहन करते हुए समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र–छात्राएँ महाविद्यालय के विकास में अमूल्य सहयोग प्रदान करते हैं। धर्म समाज महाविद्यालय आपसी सहयोग तथा धर्मनिरपेक्षता की परम्परा को बनाये रखने के लिए कटिबद्ध है जिससे शिक्षा के उच्च आदर्शों को प्राप्त किया जा सके।

भवन

महाविद्यालय के विशाल प्रांगण में अध्ययन–अध्यापन की सुविधानुसार पर्याप्त भवन हैं। प्रांगण के विभिन्न भागों में 5 उद्यान हैं तथा इन उद्यानों के चारों ओर लगभग 50 कक्ष हैं। यहाँ छात्रों की नियमित कक्षाएँ समय–सारिणी के अनुसार चलती हैं। भवन निर्माण योजना इस प्रकार है कि छात्रों को धूप, हवा तथा हरियालीयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इन सभी कक्षों में बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके साथ ही कॉलिज प्रांगण में देवालय तथा डाकघर एवं ए0टी0एम0 (I.O.B.) भी है। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा महाविद्यालय के निकट है, जो कि पूर्व में महाविद्यालय प्रांगण में ही हुआ करती थी।

महाविद्यालय में एक विशाल वातानुकूलित तीन मंजिला **श्रीमती बैकुण्ठी देवी** पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में लगभग 1,30,000 पुस्तकें संग्रहीत हैं, जिनको छात्रों को उपलब्ध करवाया जाता है। 250 से अधिक पत्रिकाएँ एवम् शोध पत्रिकाएँ नियमित रूप से मंगाये जाते हैं। 15 से अधिक समाचार–पत्र भी प्रतिदिन पुस्तकालय में मंगाये जाते हैं। पुस्तकालय में दो अध्ययन–कक्षों की स्थापना की गयी है जहां विद्यार्थी, शोधार्थी एवं शिक्षक प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक अध्ययन कर सकते हैं। कॉलिज की प्रबन्ध–समिति पुस्तकालय को आधुनिक और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सदैव प्रयासरत है। इस क्रम में ई–लाइब्रेरी की स्थापना की जा चुकी है, यहाँ छात्र ई–पुस्तकें तथा ई–शोध पत्रों को पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय में वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध है। केन्द्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में एक सेमीनार लाइब्रेरी है, जिसमें परास्नातक तथा शोध की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध हैं। वर्तमान में नवनिर्मित पुस्तकालय विस्तार भवन के ऊपरी तल पर यू0जी0सी0 द्वारा पोषित रोजगार–परक कार्यक्रमों को चलाने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस चल रहा है।

कॉलिज में खेल–कूद के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। खो–खो, क्रिकेट, फुटबाल,बास्केट बॉल, बॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस जैसे खेलों के लिए पर्याप्त स्थान व संसाधन उपलब्ध हैं। खेल के मैदान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान द्वारा बास्केटबाल के लिए पक्के कोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। खेल के मैदान को अधिक उपयोगी एवम् सुन्दर बनाने के उद्देश्य से खेल भवन का विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण किया गया है। खेल भवन के चारों तरफ बाउण्ड्रीवॉल है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है।

महाविद्यालय के आवासीय परिसर में एक अतिथि–गृह एवं एक कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का भी निर्माण कराया गया है। अतिथि गृह में 8 कमरे हैं जो पूर्णतः सुसज्जित हैं तथा जिनमें बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं। इस अतिथि गृह को विश्वस्तरीय हॉकी खिलाड़ी 'पद्मभूषण मेजर ध्यानचन्द अतिथि गृह' के नाम समर्पित किया गया है। महाविद्यालय में महिला छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें बिजली, पानी, फर्नीचर आदि की पर्याप्त सुविधाएँ है।

महाविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कई सेमिनार हॉल भी हैं, जिनमें समय–समय पर व्याख्यान तथा संगोष्ठी आयोजित की जाती हैं। महाविद्यालय में 560 सीटों की क्षमता वाला **श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल 'भगत जी'** नामक एक भव्य सभागार भी है, जोकि वातानुकूलित एवं आधुनिक भौतिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसी क्रम में कॉलिज में भवन विस्तार के लिए नयी अवधारणा पर आधारित तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त **श्रीमती मधु नन्दन अग्रवाल भवन** का निर्माण कार्य कराया गया है। जिसमें 9 शिक्षण कक्ष हैं।

(3) प्रवेशार्थियों के लिए अति आवश्यक सूचनाएँ

(अ) बी0ए0, बी0एफ0ए0 (फाईन आर्ट्स), बी0एस-सी0, बी0एस-सी0 (गृह विज्ञान), बी0कॉम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थी निम्न निर्देशों को ध्यान से पढ़ें :-

1. बी0ए0, बी0एफ0ए0 में प्रवेश योग्यतांक (मेरिट) के आधार पर होगा।
2. बी0एस–सी0, बी0एस–सी0 (गृह विज्ञान) तथा बी0 कॉम0, बी0कॉम0 (वोकेशनल) में योग्यतांक (मेरिट) के आधार पर सम्पन्न होगा।
3. प्रवेशार्थी की मेरिट–सूची उसके हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जायेगी।
4. प्रवेशार्थी को प्रवेश उसी तिथि को लेना होगा जिस तिथि पर उसे बुलाया जायेगा। प्रवेश तिथि निकल जाने पर वह प्रवेश से वंचित हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रवेशार्थी की होगी।
5. प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश समिति के समक्ष निर्धारित तिथि पर सम्पन्न होगी।

(ब) शैक्षणिक सत्र 2024–25 की स्नातक कक्षाओं–बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, के प्रथम वर्ष हेतु प्रवेश प्रक्रिया हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर होगी। प्रवेशार्थियों को प्रवेश के सम्बन्ध में सूचना डाक द्वारा प्रेषित करना सम्भव नहीं होगा। अतः प्रवेशार्थी प्रवेश योग्यता सूची कॉलिज के सूचना पट्ट पर एवं कॉलिज की वेबसाइट www.dscaligarh.ac.in पर देखें।

1. महाविद्यालय में पंजीकरण प्रारम्भ की तिथि विश्वविद्यालय आदेशानुसार।
2. महाविद्यालय में पंजीकरण की अन्तिम तिथि विश्वविद्यालय आदेशानुसार।
3. कॉलिज के सूचना पट्ट पर योग्यता सूची का प्रकाशन बी0ए0 प्रथम वर्ष हेतु एवं बी0एस0सी0 व बी0कॉम0 प्रथम वर्ष हेतु यथा समय नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर निर्धारित तिथि पर प्रदर्शित होगा।
4. प्रथम योग्यता सूची के छात्र–छात्राओं की प्रवेश–प्रक्रिया बी0ए0 प्रथम वर्ष हेतु, बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष एवं बी0कॉम0 प्रथम वर्ष हेतु (योग्यता सूची पर अंकित समय एवं तिथि के अनुरूप)।
5. आवश्यकता पड़ने पर प्रतीक्षा सूची के छात्र–छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया बी0ए0 प्रथम वर्ष हेतु आगामी सूचनानुसार बी0एस–सी0 एवं बी0कॉम0 प्रथम वर्ष हेतु आगामी सूचनानुसार।
6. स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि आगामी सूचनानुसार।
7. स्नातक एवं स्नातकोत्तर की अन्य कक्षाओं के प्रवेश, सम्बन्धित अर्ह परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित होने पर अंकतालिका के निर्गत होने की तिथि के 15 दिन के अन्दर पूर्ण किये जायेंगे।

(द) प्रवेश के समय प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची :

1. समस्त मूल अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।
2. स्थानान्तरण / प्रवास प्रमाण–पत्र।
3. चरित्र प्रमाण–पत्र।

4. पासपोर्ट साइज के तीन नवीनतम फोटोग्राफ।
5. जाति प्रमाण–पत्र।
6. आधार कार्ड।
7. वेब रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।

यदि प्रवेशार्थी उपर्युक्त अंकित अभिलेख नहीं लाते हैं, तो वे प्रवेश से वंचित हो जायेंगे तथा उन्हें पुनः कोई अवसर नहीं दिया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित होने की दशा में भी प्रवेशार्थी को कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा। उनके स्थान को प्रतीक्षा–सूची से भर दिया जायेगा। अतः निर्धारित तिथि एवं समय पर सभी प्रवेशार्थी मूल अंकतालिकाओं एवं प्रमाण–पत्रों सहित उपस्थित हों।

(य) प्रवेशार्थियों को शुल्क जमा करने के लिए केवल तीन दिन का ही समय दिया जायेगा। समय पर प्रवेश शुल्क जमा न करने की दशा में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(र) अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

(ल) एम0ए0/एम0एस0सी0 पूर्वार्द्ध प्रवेशार्थी एक से अधिक विषय के लिए अलग–अलग आवेदन–पत्र भरें।

(व) आवेदन–पत्र के साथ जाति प्रमाण–पत्र की प्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न न करने पर प्रवेश के लिए सामान्य श्रेणी में गणना की जायेगी।

(स) यदि कोई प्रवेशार्थी दो आरक्षित श्रेणियों में गणना कराना चाहता है तो उसे दो अलग–अलग फार्म भरने होंगे।

(श) टी0सी0, चरित्र प्रमाण–पत्र, प्रवास प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड एवं मूल जाति प्रमाण–पत्र (यदि आरक्षित श्रेणी में है) आदि सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि फार्म भरने के साथ ही जमा की जाएं। बाद में कोई प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- **रैगिंग से बचें–क्योंकि यह अनुशासन एवं कानून विरोधी अपराध है।**
  एन्टी रैगिंग टोल फ्री नम्बर : 1800–180–5522
- **माननीय उच्च न्यायालय तथा उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निर्देशानुसार कॉलिज प्रांगण में धूम्रपान या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करना कानूनी अपराध है। महाविद्यालय परिसर में मादक पदार्थों का सेवन पूर्णतः निषेध है।**

4. अध्ययन विषय :

महाविद्यालय संकायों में विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। पाठ्यक्रम विस्तार निम्नलिखित है–

अ. भाषा संकाय (Faculty of Language)

स्नातक पाठ्यक्रम (बी0ए0 / B.A.) सेमेस्टर प्रणाली

1. प्रथम मेजर (मुख्य) विषय (Ist Major Subject) – 6 सेमेस्टर
2. द्वितीय मेजर (मुख्य) विषय (IInd Major Subject) – 6 सेमेस्टर
3. तृतीय मेजर (इलेक्टिव) विषय (IIIrd Major Elective Subject) – 4 सेमेस्टर
4. माइनर (इलेक्टिव) विषय दो (Minor Elective Subject) – 4 सेमेस्टर / 2 वर्ष में
   2 सेमेस्टर / प्रतिवर्ष एक
5. अनिवार्य सह पाठ्यक्रम (Compulsory, Co-curriculum) – प्रति सेमेस्टर एक

   अनिवार्य सह पाठ्यक्रमों का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् है
   - प्रथम–खाद्य पोषण एवं स्वच्छता। (Food, Nutrition & Hygiene)
   - द्वितीय–प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid & Health)
   - तृतीय–मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values & Env. Studies)
   - चतुर्थ–शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Edu. & Yoga)
   - पचंम्–विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability & Digital Awareness)
   - षष्ठम्–संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skills & Personality Development)
6. रोजगार परक पाठ्यक्रम (Vocational Based Curriculum) – प्रथम 4 सेमेस्टर / 2 वर्ष में
   प्रति सेमेस्टर / प्रतिवर्ष 2

रोजगार परक पाठ्यक्रम :–प्रथम दो वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार परक पाठ्यक्रम जैसे–सर्टिफिकेट इन योगा, योगा साइंस, प्रोफिसिएंसी इन स्पोकन इग्लिश, जी.एस.टी., बेसिक कम्प्यूटर एप्लीकेशन, ई0 कॉर्मस इत्यादि पूर्ण करना होगा।

1. सर्वप्रथम संकाय चयन (Prerequisites) के आधार पर
2. चुने संकाय से 2 मेजर (मुख्य विषय)
3. तीसरा मेजर (मुख्य) विषय 'निजी संकाय' से या अन्य संकाय से
4. चौथा माइनर विषय–अन्य संकाय से।
5. अनिवार्य सह पाठ्यक्रम–सरकार द्वारा निर्धारित
6. रोजगार परक–महाविद्यालय द्वारा संचालित

स्नातकोत्तर :

भाषा संकाय के सभी विषयों में सरकार द्वारा निर्देशित तथा विश्वविद्यालय अनुमोदित पाठ्यक्रम व्यवस्था को अपनाया जाता है। वर्ष 2023 से शुरू होने वाली नवीन पाठ्यक्रम व्यवस्था को भी लागू करने के लिए महाविद्यालय संकाय पूर्ण प्रतिबद्ध है।

शोध कार्य :

महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शोध पात्रता परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध है।

कला संकाय (Faculty of Arts) :

(ब) कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान :

स्नातक पाठ्यक्रयम (बी0ए0)

1. प्रथम मेजर (मुख्य) विषय (Ist Major Subject) – 6 सेमेस्टर
2. द्वितीय मेजर (मुख्य) विषय (IInd Major Subject) – 6 सेमेस्टर
3. तृतीय मेजर (इलेक्टिव) विषय (IIIrd Major Elective Subject) – 4 सेमेस्टर
4. माइनर (सहायक) विषय दो (Minor Subject) – 4 सेमेस्टर / 2 वर्ष में
   2 सेमेस्टर / प्रतिवर्ष एक
5. अनिवार्य सह पाठ्यक्रम (Compulsory Co-curriculum) – प्रति सेमेस्टर एक (पृष्ठ–9 के अनुसार)
6. रोजगार परक पाठ्यक्रम (Vocational Based Curriuculum) – प्रथम 4 सेमेस्टर / 2 वर्ष में
   प्रति सेमेस्टर / प्रतिवर्ष 2 (पृष्ठ–9 के अनुसार)

मेजर (मुख्य विषय) :

अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन (सैन्य अध्ययन)।

मेजर व माइनर विषय चयन और अन्य पाठ्यक्रम विवरण :

1. सर्वप्रथम संकाय चयन (Prerequisites के आधार पर)
2. चुने संकाय से 2 मेजर (मुख्य विषय)
3. तीसरा मेजर (मुख्य) विषय 'निजी संकाय' से या अन्य संकाय से
4. चौथा माइनर विषय–अन्य संकाय से।
5. अनिवार्य सह पाठ्यक्रम–सरकार द्वारा निर्धारित
6. रोजगार परक–महाविद्यालय द्वारा संचालित

स्नातकोत्तर :

कला, मानिवकी एवं सामाजिक विज्ञान के अधिकांश विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को अपनाया जाता है। वर्ष 2022 से शुरू होने वाली नवीन पाठ्यक्रम व्यवस्था को भी लागू करने के लिए महाविद्यालय संकाय पूर्ण कटिबद्ध है।

शोध सुविधाएँ–स्नातकोत्तर पर अधिकांश विषयों में शोध कार्य होता है। विश्वविद्यालय शोध–पात्रता के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के लिए शोध सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

विभिन्न संकाय तथा सम्बन्धित पाठ्य विषय– Diff. Faculties and Related Subjects :-

Faculty	Related Subject
Science	Botany, Chemistry, Geology, Physics, Zoology, Mathematics (6 subjects)
Humanities & Social Sciences	Economics, Education, Geography, Mil. Science, Pol. Science Psychology, Sociology, History (8 subjects)
Commerce	Business Organization, Business Statistics, Business Communication (3 subjects)
Language	Hindi, English, Sanskrit (3 Subjects)
Drawing & Painting	Drawing & Painting (1 Subject)

1. अनिवार्य सह–पाठ्यक्रमों में खाद्य पोषण एवं स्वच्छता (Sem-I), प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (Sem-II), मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Sem-III), शारीरिक–शिक्षा एवं योग (Sem-IV), विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेयश (Sem-V) तथा संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Sem-VI) का अध्ययन करना है।
2. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्ष (चार सेमेस्टर) में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 के आधार पर एक रोजगार/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill Development Course) जैसे–सर्टिफिकेट इन योगा, योगा साइंस, प्रोफिसिंएसी इन स्पोकन इंग्लिश, जी0एस0टी0, बेसिक कम्प्यूटर एप्लीकेशन, ई0 कॉमर्स इत्यादि पूर्ण करना होगा। (जिसके आलोक में विस्तृत दिशा निर्देश महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार जारी किए जायेंगे।)

नोट–ये पाठ्यक्रम समय–समय पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देश के अन्तर्गत ही संचालित होंगे।

विषय समूह–कला संकाय

A- भाषा संकाय

English, Hindi, Sanskrit

Major Subject		Minor Subjects
Two Major Subjects (Language)	One Major Subject (Other Faculties)	
1. English, Hindi	1. Faculty of Social Sciences-8 subjects 2. Science faculty-6 subjects 3. Drawing & Painting-1 subject 4. Commerce Faculty-3 subjects	1. Faculty of Social Sciences-8 subjects 2. Science faculty-6 subjects 3. Drawing & Painting-1 subject 4. Commerce Faculty-3 subjects
2. English, Sanskrit	1. Faculty of Social Sciences-8 subjects 2. Science faculty-6 subjects 3. Drawing & Painting-1 subject 4. Commerce Faculty-3 subjects	1. Faculty of Social Sciences-8 subjects 2. Science faculty-6 subjects 3. Drawing & Painting-1 subject 4. Commerce Faculty-3 subjects
3. Hindi, Sanskrit	1. Faculty of Social Sciences-8 subjects 2. Science faculty-6 subjects 3. Drawing & Painting-1 subject 4. Commerce Faculty-3 subjects	1. Faculty of Social Sciences-8 subjects 2. Science faculty-6 subjects 3. Drawing & Painting-1 subject 4. Commerce Faculty-3 subjects

नोट : 1. विषय समूह सीट उपलब्धता मेरिट के आधार पर।
2. अन्य कोई भी विषय समूह प्रवेश प्रभारी व प्राचार्य की अनुमति से।

B- कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

Economics, Geography, Political Sc., History, Psychology, Education, Sociology, Military Studies

Major Subject (From One Faculty) Two Major Subjects	One Major Elective from Other Faculty	Minor Subjects
1. Eco, Geog. 2. Eco., Pol. Sc. 3. Eco., Hist. 4. Eco., Psy. 5. Eco., Edu. 6. Eco., Soc. 7. Eco. Mil., St.	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject
1. Geog., Pol. Sc. 2. Geog., Hist. 3. Geog., Psy. 4. Geog., Edu. 5. Geog. Edu. 6. Geog. Mil. St.	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject
1. Pol. Sc., Hist. Pol. Sc., Psy. 3. Pol. Sc., Edu. 4. Pol. Sc., Soc. 5. Pol. Sc., Mil. St.	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject
1. Hist., Psy. 2. Hist., Edu. 3. Hist., Soc. 4. Hist. Mil. St.	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject
1. Psy. Edu. 2. Psy., Socio. 3. Psy. Mil. St.	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject
1. Education, Soc. 2. Education, Mil. St.	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject
1. Soc., Mil. St.	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject

नोट : 1. विषय समूह सीट उपलब्धता मेरिट के आधार पर।
2. अन्य कोई भी विषय समूह प्रवेश प्रभारी व प्राचार्य की अनुमति से।

B- कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

Economics, Geography, Political Sc., History, Psychology, Education, Sociology, Military Studies

Three Major Subject (From One Faculty)	One Minor Subjects (Other Faculty)
1. Eco., Geog., Pol. Sc. / His./Psy./Edu./Mil. St. 2. Eco., Pol. Sc., Hist./Edu./Soc./Mil. St. 3. Eco., Hist., Psy./Edu/Soc./Mil. St. 4. Eco., Edu./Socio./Mil. St. 5. Eco., Edu./Socio./Mil. St. 6. Eco., Socio., Mil. St.	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject
7. Geog., Pol. Sci., Hist./Psy./Edu./Soc./Mil. St. 8. Geog., Hist., Psy./Edu./Soc./Mil. St. 9. Geog., Sy., Edu./Soc./Mil. St. 10. Geog., Edu., Soc/Mil. St. 11. Geog., Edu, Mil. St.	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject
12. Pol. Sc., Hist., Psy./Edu./Soc./Mil. St. 13. Pol. Sc. Psy., Edu./Soc./Mil. St. 14. Pol. Sc., Edu., Soc./Mil. Sci. St. 15. Pol. Sc., Soc, Mil. St.	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject
16. Hist., Psy, Edu./Soc./Mil. St. 17. Hist., Edu., Soc./Mil. St. 18. Hist. Soc., Mil. St.	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject
19. Psy., Edu., Soc./Mil. St. 20. PSy., Soc, Mil. St.	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject
21. Education, Soc., Mil. St.	1. Language Faculty-3 Subjects 2. Science Faculty-6 Subjects 3. Drawing & Painting-1 Subject 4. Commerce Faculty-3 Subject

विज्ञान संकाय (Faculty of Science)

स्नातक पाठ्यक्रम (बी0एस0सी0) सेमेस्टर प्रणाली

1. प्रथम मेजर (मुख्य) विषय – 6 सेमेस्टर (Ist Major Subject)
2. द्वितीय मेजर (मुख्य) विषय – 6 सेमेस्टर (IInd Major Subject)
3. तृतीय मेजर (इलेक्टिव) विषय – 6 सेमेस्टर (IIIrd Major Elective Subject)
4. माइनर (सहायक) विषय–2 – 4 सेमेस्टर / 2 वर्ष में (2 सेमेस्टर / 1 प्रतिवर्ष में) (Minor Subject))
5. अनिवार्य सह पाठ्यक्रम – प्रति सेमेस्टर एक (Compulsory Co-curriculum) (पृष्ठ–9 के अनुसार)
6. रोजगार परक पाठ्यक्रम – प्रथम 4 सेमेस्टर / 2 वर्ष में प्रति सेमेस्टर / प्रतिवर्ष 2 (पृष्ठ–9 के अनुसार) (Vocational Based Curriculum)

मेजर (मुख्य) विषय

गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू–गर्भ विज्ञान

माइनर (सहायक) विषय– भाषा संकाय, मानविकी संकाय एवं वाणिज्य संकाय विषय, चित्रकला

मेजर व माइनर विषय चयन और अन्य पाठ्यक्रम विवरण

1. सर्वप्रथम संकाय चयन (Prerequistes के आधार पर)
2. चुने संकाय से 2 मेजर (मुख्य विषय)।
3. तीसरा मेजर (मुख्य) विषय 'निजी' संकाय' से या अन्य संकाय से।
4. चौथा माइनर विषय अन्य संकाय से।
5. अनिवार्य सह पाठ्यक्रम –सरकार द्वारा निर्धारित।
6. रोजगार परक–महाविद्यालय द्वारा संचालित।

नोट : विज्ञान संकाय में विषय मेजर कॉम्बीनेशन है।

स्नातकोत्तर–विज्ञान संकाय के अधिकतर विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है।

शोधकार्य–महाविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित शोध पात्रता परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यार्थियों के लिए शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध है।

वाणिज्य संकाय (Faculty of Commerce)

स्नातक पाठ्यक्रम (Both Languge)

1. प्रथम मेजर (मुख्य) विषय – 6 सेमेस्टर (Ist Major Subject)
2. द्वितीय मेजर (मुख्य) विषय – 6 सेमेस्टर (IInd Major Subject)
3. तृतीय मेजर (इलेक्टिव) विषय – 4 सेमेस्टर (IIIrd Major Elective Subject)
4. माइनर (इलेक्टिव) विषय–2 – 4 सेमेस्टर / 2 वर्ष में 2 सेमेस्टर / प्रतिवर्ष एक (Minor Subject)
5. अनिवार्य सह पाठ्यक्रम – प्रति सेमेस्टर एक (Compulsory Co-curriculum) (पृष्ठ–9 के अनुसार)
6. रोजगार परक पाठ्यक्रम – प्रथम 4 सेमेस्टर / 2 वर्ष में (प्रति सेमेस्टर / प्रतिवर्ष 2) (Vocational Based Curriculum)

मेजर विषय : (पृष्ठ–9 के अनुसार)

Business Organization, Business Statistics, Business Communication

माइनर (सहायक) विषय :

1. भाषा संकाय विषय
2. कला संकाय विषय
3. Drawing & Painting
4. विज्ञान संकाय विषय

1. सर्वप्रथम संकाय चयन (Prerequisites के आधार पर)
2. चुने संकाय से 2 मेजर (मुख्य विषय)
3. तीसरा मेजर (मुख्य) विषय 'निजी' संकाय' से या अन्य संकाय से
4. चौथा माइनर विषय अन्य संकाय से।
5. अनिवार्य सह पाठ्यक्रम –सरकार द्वारा निर्धारित
6. रोजगार परक–महाविद्यालय द्वारा संचालित

शिक्षक शिक्षा संकाय (Faculty of Teacher Edu.)

बी0एड0–दो वर्षीय पाठ्यक्रम (सेमेस्टर प्रणाली)

___राज्य स्तर पर आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अनुसार महाविद्यालय हेतु चयनित अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाता है।

एम0एड0–दो वर्षीय पाठ्यक्रम (सेमेस्टर प्रणाली)

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर महाविद्यालय हेतु चयनित अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाता है।

शोध कार्य– विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित शोध पात्रता परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध है।

विधि संकाय (Faculty of Law)

1. **एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम** : महाविद्यालय में एल0एल0बी0 नियमित पाठ्यक्रम के रूप में संचालित है।
2. **बी0ए0एल0एल0बी0 (पंचवर्षीय पाठ्यक्रम)** : यह पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित है।
3. **एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित है।**

5. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम (Self Financed Courses)

1. **पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा :**

उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश, मेरिट एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाता है।

1. पाठ्यक्रम अवधि : 9 माह।
2. प्रवेश अर्हता : इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।
3. वार्षिक शुल्क : 4695/– (परीक्षा शुल्क अतिरिक्त)

रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रम :

2. **पी०जी० डिप्लोमा इन बिजनिस मैनेजमेन्ट (पी०जी०डी०बी०एम०) :**

उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश, मेरिट तथा शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाता है। यह पाठ्यक्रम **स्ववित्तपोषित** पाठ्यक्रम के रूप में संचालित है। यह पाठ्यक्रम राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से मान्यता प्राप्त है।

1. पाठ्यक्रम अवधि : 1 वर्ष (दो सेमेस्टर)
2. प्रवेश अर्हता : स्नातक उत्तीर्ण।
3. शुल्क : रुपया 8225/प्रति सेमेस्टर।

3. **Diploma in Health Care** 4000/-

4. **बी०ए०एल०-एल०बी०** : पंचवर्षीय स्नातक स्तर पाठ्यक्रम
   प्रवेश अर्हता–इण्टरमीडिएट
   वार्षिक शुल्क 15,000/–

5. **बी०बी०ए०** : त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पाठ्यक्रम (6 सेमेस्टर)
   प्रवेश अर्हता – इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।
   वार्षिक शुल्क 25,000/– प्रथम वर्ष

6. **बी०सी०ए०** : त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पाठ्यक्रम (6 सेमेस्टर)
   प्रवेश अर्हता – इण्टरमीडिएट (गणित विषय के साथ)
   वार्षिक शुल्क 28,000/– प्रथम वर्ष

7. **B.Com. (Voc.)** : 5000/- (वार्षिक)
8. **B. Voc (IT)** : 8000/- (वार्षिक)
9. **B. Voc (Retail Management)** : 6000/- (वार्षिक)

10. **एम० कॉम०** : दो वर्षीय पाठ्यक्रम

प्रवेश अर्हता – स्नातक वाणिज्य

वार्षिक शुल्क 12000/– प्रतिवर्ष

11. **एम० ए० (शिक्षाशास्त्र)** : दो वर्षीय पाठ्यक्रम

प्रवेश अर्हता – स्नातक

वार्षिक शुल्क 10,000/–प्रतिवर्ष

12. **एम0ए0 रक्षा एवं स्त्रातजिक (सैन्य अध्ययन)–द्विवर्षीय पाठ्यक्रम**

प्रवेश अर्हता–स्नातक

8,000/– प्रति वर्ष

13. **एल0एल0एम0–द्विवर्षीय पाठ्यक्रम**

प्रवेश अर्हता–एल0एल0बी0/बी0ए0एल0एल0बी0

60,000/– प्रति वर्ष

14. **फाईन आर्ट्स–चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम (बैचलर ऑफ फाईन आर्ट्स)**

10,000/–प्रति वर्ष

प्रवेश अर्हता (इण्टरमीडिएट)

15. **बी0एस0सी0 गृहविज्ञान–त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम**

प्रवेश अर्हता (इण्टरमीडिएट)

शुल्क 10,000/– प्रति वर्ष

नोट : 1. सभी स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क/नामांकन शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/अंकतालिका शुल्क/उपाधि शुल्क/पुरातन छात्र शुल्क अतिरिक्त लिया जायेगा।

2. विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्धारित शुल्क समय पर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन होगा।

- **एक हजार मील सफलता की यात्रा की शुरूआत भी एक कदम सेहोतीहै।**

–लाओत्सू

- **बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।**

–डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर

6. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्थान

कक्षा	कुल स्थान
बी०ए० प्रथम वर्ष	780
बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष	720
बी0 कॉम0 प्रथम वर्ष	240
बी0कॉम (वोकेशनल)	120
बी0वॉक0 (आई.टी.)	60
बी0वॉक0 (रिटेल मैनेजमेन्ट)	60
डिप्लोमा इन हेल्थ केयर	30
एम० ए० प्रथम वर्ष	
हिन्दी	60
अंग्रेजी	60
संस्कृत	60
मनोविज्ञान	60
अर्थशास्त्र	60
राजनीति–शास्त्र	60
भूगोल	60
समाजशास्त्र	60
चित्रकला	60
एम० एस-सी० प्रथम वर्ष	
रसायन–विज्ञान	30
भौतिक–विज्ञान	30
जन्तु–विज्ञान	30
वनस्पति–विज्ञान	30
भू–विज्ञान	30
गणित	60
बी० एड०	100
एम० एड०	50
एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) प्रथम वर्ष	180
स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	
1. बी0ए0 फाईन आर्ट्स	60
2. बी0ए0 एल0एल0बी0 (पंचवर्षीय) प्रथम वर्ष	120
3. बी0बी0ए0	120
4. बी0सी0ए0	140
5. बी0एस–सी0 गृह विज्ञान	60
6. एम0ए0 (शिक्षा शास्त्र)	120
7. एम0ए0 रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	60
8. एम0 कॉम0	60
9. एल0एल0एम0	20
10. पी.जी.डी.बी.एम.	30
11. लाइब्रेरी साइंस	60

नोट– 1. सभी वर्गो हेतु आरक्षण शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अधीन होगा।

2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु रिक्त स्थान महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा समय'समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन होंगे।

7. उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
केन्द्र : धर्म समाज कॉलिज, अलीगढ़

(कम योग्यतांक होने के कारण प्रवेश से वंचित छात्र/छात्राओं, नौकरी-पेशा एवं अन्य कार्यो में लगी महिलाओं/पुरुषों का उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर)

धर्म समाज महाविद्यालय के प्रांगण में संचालित उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज से सम्बद्ध एक अध्ययन केन्द्र (S001) है।

इस केन्द्र पर संचालित अनुमन्य कार्यक्रम :-

B.A., B.Sc., B. Com.	Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Commerce	CNF	Certificate in Nutrition and Food
PGDT	Post Graduate Diploma in Translation	CHFE	Certificate in HIV and Family Education
PGDIMB	Post Graduate Diploma in Marketing and E-Business	CWED	Certificate in Women Empowerment and Development
DRD	Diploma in Rural Development		
DHEN	Diploma in Health Education & Nutrition	CCY	Certificate in Yoga
		CTEIM	Certificate in Taxation and Export Import Management
MLIS	Master of Library & Information Science	CAC	Certificate in Applied Criminology
CCCN	Child Care and Nutrition		
CHR	Certificate in Human Rights	CRJINSC	Certificate in Rural Journalism of Mass Communication
APPR	Awareness Programme in Panchayati Raj	DIC	Basic Diploma in Computer
MJ	Master of Journalism	DCOM	Diploma in Computer Office Management
PGDMM	Post Graduate Diploma in Marketing Management	DHJ	Diploma in Hardware Technology
MA	Master of Arts (Psychology, English, Social Work, Hindi, Sanskrit, History, Sociology, Statistics, Political Science, Economics, Educatuion)	CCC	Certificate in Computer Course
		CCP	Certificate in Consumer Production
		CDM	Certificate in Disaster Management
M.Com.	Master of Commerce	DP	Diploma in Photography
PGDJMC	Post Graduate Diploma in Journalism & Mass Communication	CCMAP	Certificate in Cultivation of Medicinal and Aromatic Plant
		CLPS	Certificate in Livestock Production System
BBA	Bachelor in Business Administration	APDF	Awareness Programme in Dairy Farming
BCA	Bachelor in Computer Application	BILS	Bachelor in Library and Information Science
DCDN	Diploma in Dietetics and Nutrition	DYS	Dipoma in Yoga
PGDEA	Post Graduate Diploma in Educational Administration	PGDY	Post Graduate Diploma in Yoga
		B.A.	Single Subject
DECE	Diploma in Early Childhoold Care & Education	MBA	Master of Business Administration (प्रस्तावित)
DTS	Diploma in Tourism Studies	M.Sc. Bio Chemistry	Master of Science in Bio Chemistry
CTS	Certificate in Tourism Studies		

8. प्रवेश नियम, निषेध एवं निरस्तीकरण

प्रवेशार्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. विवरण पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें तथा इसमें वर्णित नियमों का पालन करें।
2. समस्त प्रवेश राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ प्रवेश नियमावली 2024–25 और कॉलिज में विभिन्न कक्षाओं में उपलब्ध स्थान तथा आरक्षित श्रेणी स्थान सारणी के आधार पर किए जायेंगे। अतः अभ्यर्थी सर्वप्रथम विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली का अध्ययन करें तत्पश्चात् प्रवेश आवेदन पत्र साफ–2 भरकर जमा करें। **त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।**
3. **प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनाएँ एवं तिथियों की विज्ञप्ति कॉलिज सूचना पट्ट एवं कॉलिज वेबसाइट पर ही सूचित की जायेंगी। अलग से कोई प्रवेश सम्बन्धी सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी। अतः प्रवेश सम्बन्धी सूचनाओं के लिए छात्र–छात्राएँ समय–समय पर सूचना पट्ट एवं कॉलिज वेबसाइट देखते रहें। सूचना प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र–छात्राओं की होगी।**
4. प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय में स्थान सीमित एवं निर्धारित हैं।
5. यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा पिछड़ी जाति से सम्बन्धित हैं तो साक्षात्कार के समय अपनी जाति का मूल प्रमाण–पत्र अपने साथ अवश्य लाएँ। **लेखा विभाग से निर्धारित छात्रवृत्ति फार्म प्राप्त कर उसे अवश्य जमा कर दें, ताकि प्रवेश शुल्क जमा करने पर आप प्रवेश प्राप्त कर सकें तथा छात्रवृत्ति स्वीकार होने पर बाद में शुल्क भुगतान हो सके।**
6. प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क तथा नवीन छात्र को नामांकन शुल्क अवश्य जमा करना होगा।
7. यदि विद्यार्थी सत्र के बीच में अध्ययन छोड़ना चाहता है तो उसकी सूचना कार्यालय को लिखित रूप में तुरन्त देनी होगी अन्यथा पूरे वर्ष का शुल्क लिया जाएगा।
8. (अ) नवीन प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्न स्व–सत्यापित प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें।

   नोट–नवीन प्रवेशार्थी प्रवेश से पूर्व राज महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से अपना वेब रजिस्ट्रेशन (Web-Registration) अवश्य करायें।

   1. (क) स्नातक कक्षा हेतु हाईस्कूल एवं उसके उपरान्त जो भी कक्षाएँ उत्तीर्ण की हों, उन सभी की अंकतालिकाएँ।
      (ख) स्नातकोत्तर कक्षा हेतु इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं स्नातक कक्षा की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाएं ।
   2. जन्मतिथि प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड।
   3. प्रवेशार्थी ने जिस संस्था से अन्तिम कक्षा में संस्थागत रूप से अध्ययन किया हो, उसके प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
   4. यदि प्रवेशार्थी किसी भी आरक्षित वर्ग में हो तो तत्सम्बन्धी जाति प्रमाण–पत्र ।
   5. यदि प्रवेशार्थी राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और उससे सम्बद्ध कॉलिज में सेवारत/अवकाश प्राप्त स्थायी प्राध्यापक एवं कर्मचारी की संतान है, तो तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।
   6. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री (अविवाहित) हैं तो प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
   7. यदि प्रवेशार्थी राष्ट्रीय/राज्य/अन्तरविश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी है, तो उस दशा में तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
   8. प्रवेश से सम्बन्धित अन्य प्रमाण पत्र ।

8. (ब) नवीन प्रवेशार्थी साक्षात्कार के समय निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करें :–
   1. 8 (अ) के अन्तर्गत 1–8 तक सभी सत्यापित फोटो प्रतिलिपियों की मूल प्रतियां ।
   2. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
   3. प्रवजन प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
9. प्रवेश लेने वाले ऐसे विद्यार्थी जो सन् 2023–2024 में इस कॉलिज के छात्र रह चुके हैं, उपरोक्त खण्ड 8 (अ) और 8 (ब) में वर्णित आवश्यक प्रमाण–पत्र (केवल टी0 सी0 एवं प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration)] को छोड़कर तदनुसार प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें तथा सत्यापित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें और चरित्र सम्बन्धी विवरण प्रपत्र और परिचय पत्र का

नवीनीकरण भी उसी समय करा लें ।

10. बी0 ए0 / बी0 एस–सी0 / बी0 कॉम0 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा एल–एल0बी0 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश के आकांक्षी ऐसे विद्यार्थी जो सत्र 2023–2024 में इस कॉलिज में अध्ययन कर चुके हैं वे केवल अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने से सम्बन्धित प्रमाणपत्र की सत्यापित फोटो प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें । इन प्रवेशार्थियों के चरित्र सम्बन्धी विवरण प्रपत्र और परिचय पत्र का नवीनीकरण साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा, पासपोर्ट साइज के तीन फोटो साथ लाना अनिवार्य हैं ।
11. प्रत्येक कक्षा के ऐसे प्रवेशार्थी जिनको नवीन प्रवेशार्थी की संज्ञा दी गई है, अपना **नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो** खिंचवाकर उसकी 3 प्रतियाँ अपने पास रखें । एक फोटो प्रवेशार्थी अपने आवेदन पत्र पर यथास्थान चिपका दें । फोटो की दूसरी प्रति आचरण पत्र पर एवं तीसरी प्रति परिचय पत्र पर यथास्थान चिपकाएँ।
12. प्रवेश आवेदन–पत्र में आवश्यक प्रविष्टियां भरने तथा आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने के उपरान्त प्रवेशार्थी उसे रु0 250 विवरणिका फीस + रु0 2 रजिस्ट्रेशन रु0 252 ऑनलाइन भुगतान करके ऑनलाइन जमा कर दें।
13. (क) बी0ए0, बी0एस–सी0 / बी0 कॉम0 प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश आवेदन पत्र कॉलिज वेबसाइट पर ऑनलाइन करें। इसके बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
    (ख) अन्य कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र जमा करने और प्रवेश पूर्ण होने की तिथियाँ राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ प्रवेश नियमावली 2024–25 के अनुसार होगी, जिसकी जानकारी कॉलिज सूचना पट तथा कॉलिज वेबसाइट पर विद्यार्थियों को मिल जाएगी।
14. साक्षात्कार वाले दिन स्नातक कक्षाओं हेतु प्रवेशार्थी प्रवेश समिति के समक्ष पासपोर्ट साइज के 3 फोटो के साथ उपस्थित होकर परिचय पत्र एवं आचरण पत्रिका भरकर जमा करेगा। समस्त मूल पत्रों की जांचकर प्रवेश समिति, प्रवेश की संस्तुति करेगी। इसके उपरान्त प्रवेशार्थी अनुशासन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगा। स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेशार्थी मुख्य अनुशासन अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करायेगा।
15. यदि प्रवेशार्थी किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशास्कीय विभाग में नियुक्त अथवा सेवारत है तो उसे वहाँ के नियोक्ता के अनुमति पत्र की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी । ऐसा न करने पर और बाद में पता चलने पर कि प्रवेशार्थी सेवारत है, प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी सूचना उसके नियोक्ता को दे दी जाएगी।
16. आवेदन पत्र को ठीक तरह से भरना एवं प्रविष्टियों को पूरा करने का उत्तरदायित्व प्रवेशार्थी का है । अपूर्ण अथवा अशुद्ध आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे और उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।
17. प्रवेश अनुमन्य के बाद प्रवेशार्थी को कॉलिज शुल्क 3 दिन में जमा करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
18. 15 दिन तक कक्षाओं में बिना अनुमति के निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। तत्पश्चात् पुनः प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।
19. यदि त्रुटिवश किसी प्रवेशार्थी का प्रवेश अन्तिम गुणांक (मेरिट कांउट) से कम हो जाता है, तो उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
20. निम्नलिखित कारणों से किसी भी प्रवेशार्थी का प्रवेश वर्जित होगा और यदि भूलवश प्रवेश दे दिया गया है तो निरस्त कर दिया जाएगा :–
    (क) इस कॉलिज में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार का दोषी होना।
    (ख) अन्य महाविद्यालय द्वारा निष्कासन या प्रवेश की अस्वीकृति।
    (ग) विद्यार्थी पर आई0 पी0 सी0 (भारतीय दण्ड विधान) अथवा सी0 आर0 पी0 सी0 धाराओं के अन्तर्गत कोई मुकदमा होना अथवा मॉरल टर्पीटयूड के जुर्म के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाना अथवा किसी शिक्षक, छात्र अथवा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार के कारण निष्कासित किया जाना।
    (घ) अन्य कोई कारण जो कॉलिज के मुख्य अनुशासन अधिकारी की दृष्टि में अनुचित हो।
    (ङ) अंक तालिकाओं या प्रमाण पत्रों के सन्देहास्पद होने पर।
21. **कॉलिज के किसी भी कक्षा में प्रवेश देने अथवा न देने का तथा प्रवेश को निरस्त करने का अंतिम निर्णय प्राचार्य का होगा।**

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

E-mail : registrar.rmpu@gmail.com

शैक्षणिक कैलेन्डर (Academic Calender) सत्र 2024–25

क्र0सं0	शैक्षणिक कार्यक्रम	दिनांक
विषम सेमेस्टर		
01	स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024–25 के वेब रजिस्ट्रेशन तिथि	01.5.2024 से 31.05.2024
02	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के , वेब रजिस्ट्रेशन की तिथि	01.06.2024 से 30.06.2024
03	स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि	01.07.2024 से 15.07.2024
04	स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा परास्नातक तृतीय सेमेस्टर के शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	01.07.2024 से
05	स्नातक प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	16.07.2024 से
06	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि	01.07.2024 से 15.07.2024
07	स्नातक विषम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने की तिथि	02.09.2024 से 16.09.2024
08	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्क्रम के विषम सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा की तिथि	01.10.2024 से 14.10.2024
09	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि	15.10.2024 से 30.10.2024
10	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा के विषम सेमेस्टर के शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि	09.11.2024
11	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्क्रम विषम सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा की तिथि	12.11.2024 से 24.12.2024
12.	शीतावकाश	25.12.2024 से 31.12.2024
13	स्नातक एवं परास्नातक एवं डिप्लोमा विषम सेमेस्टर परीक्षा के परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	16.01.2025
सम सेमेस्टर		
14	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा सम सेमेस्टर के शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	01.01.2025
15	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा सम सेमेस्टर पाठ्यक्रम के परीक्षा फार्म भरने की तिथि	01.02.2025 से 15.02.2025
16.	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सम सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा की तिथि	01.03.2025 से 15.03.2025
17	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि	15.03.2025 से 30.03.2025
18	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा के शिक्षण कार्य पूर्ण करने की तिथि	31.03.2025
19	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सम सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा की तिथि	03.04.2025 से 15.05.2025
20	ग्रीष्मावकाश	16.05.2025 से 30.06.2025
21	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सम सेमेस्टर परीक्षा के परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	06.06.2025

9. राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों के प्रवेश नियम

1. **प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल https://rmpssu/org पर समयबद्ध सफल पंजीकरण करना अनिवार्य है।**
2. **योग्यता सूची के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल https://rmpssu.org के माध्यम से ही समयबद्ध सफल पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रवेश किये जायेंगे।**
3. **10% आरक्षण नीति EWS के लिए लागू होगी।**
4. **विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।**

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा आवासीय सम्बन्ध एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ सांईसेज, इंजीनियरिंग तथा विधिक संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धित विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उनका प्रविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेंगे।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनके प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।
3. सत्र 2023–24 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अर्न्तगत अभ्यर्थी पाँच चरणों क्रमशः (1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म Offline/Online माध्यम से पूर्ण करके छठे चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र. है, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जो Admission Monitoring System की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
4. महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://rmpssu.org के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेंगी।
5. महाविद्यालय, प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
6. विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी से स्नातक स्तर पर 200/– रु0 तथा परास्नातक स्तर 300– रु0 शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका ''प्रोस्पेक्ट्स'' तैयार करायेगा, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे तथा विवरण पुस्तिका का अधिकार मूल्य 250/– रुपये नकद आगामी सत्र 2024–25 के लिए रखा जायेगा।

   (ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2024–25 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 4 प्रतिशत स्थान विकलागों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा श्रवण बाधित, चलन बाधित एक दृष्टि बाधित अन्तर्गत ही) तथा 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

   (स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का

उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।

(द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेश के उपरान्त यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर रद्द कराना होगा।

2. (अ) सत्र 2024–25 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में ही प्रवेश दिये जायेंगे तथा प्रवेशशुल्क साथ 300/– रु0 उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा।

(ब) एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(स) (i) बी0ए0एल0एल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2 (इण्टरमीडिएट) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को स्नातक एवं बी0ए0एल0एल0बी0 में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो।

(द) बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बी0पी0ई0एस0 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो। प्रवेश हेतु एन0सी0टी0ई0 की भी अन्य शर्तें मान्य होगी।

(य) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया गया हो परन्तु परास्नातक के प्रयोगात्मक एवं साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है।

(र) एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा।
PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B.Tech. & BCA उपरोक्त विषयों में स्नातक सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट मान्य होगी।

(ल) एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बी0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बी0एस–सी0 (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होंगे।
उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णांक प्रतिशत 45 प्रतिशत होना चाहिए तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(व) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(श) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 30 जून 2024 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेंगे।

- महाविद्यालय खुलने की तिथि — 01 जुलाई 2024
- स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि — 01 मई 2024
- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में पंजीकरण की अन्तिम तिथि — 30 जून 2024
- स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश आरम्भ की तिथि — 01 जुलाई 2024
- स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की अन्तिम तिथि — 15 जुलाई 2024
- स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर कक्षाओं में पठन–पाठन आरम्भ करने की तिथि — 16 जुलाई 2024
- स्नातकोत्तर एवं विधि (त्रिवर्षीय) प्रथम वर्ष प्रवेश की अन्तिम तिथि — 15 जुलाई 2024
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि — 16 जुलाई 2024

नोट–सभी तिथियाँ विश्वविद्यालय से समय–समय पर प्राप्त होने वाली निर्देशों के अनुरूप परिवर्तनीय है।

- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष के सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हो।

(स) स्नातक एवं स्नातकोत्तर के ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष पूर्ण कर लिया है एवं परास्नातक स्तर पर पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण कर लिया है, यदि किन्हीं कारणवश आगामी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत छात्र के रूप में देना चाहते हैं एवं उनके पास कोई प्रयोगात्मक विषय नहीं है तथा अन्तराल के नियमों के अर्न्तगत आते हैं, वे समस्त छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। (यदि व्यक्तिगत परीक्षायें सम्पन्न करायी जाती है।)

(द) जो छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनके लिए परीक्षा प्रणाली व पाठ्यक्रम पूर्ववत रहेगा।

4. नियमानुसार एल0एल0बी0 06 वर्ष, बी0ए0एल0एल0बी0 08 वर्ष, स्नातक कृषि 07 वर्ष, कला विज्ञान एवं वाणिज्य 06 वर्ष, परास्नातक अधिकतम 05 में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अथवा नई शिक्षा नीति के निर्देशानुसार होगा। अन्तराल को दृष्टिगत रखते हुये प्रवेश का निर्णय महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा लिया जायेगा तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा जायेगा।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ का विवरण पुस्तिका के अध्याय–19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश–2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे–

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Privided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशानहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी–

(1) बी0एस0सी0 (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
(2) बी0एस0सी0 (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट बायोलॉजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
(3) बी0एस0सी0 (कृषि) के लिए कला को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(4) बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(5) बी0ए0/बी0कॉम0 के लिए इण्टरमीएिडट के किसी भी ग्रुप परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(6) प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु यदि छात्र/छात्रा ने वाणिज्य अथवा कला वर्ग से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे अपने वर्ग (वाणिज्य व कला वर्ग) में प्रवेश हेतु पाँच अंक का Weightage दिया जायेगा।
(7) विश्वविद्यालय के सम्बन्धित महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर काक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

(ब) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्डरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश दिया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses affered by the CBSE at Senior Secondary Level along with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट–1)

(स) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0 (कृषि)/बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत अंक छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड पाइंट/मार्कशीट प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होंगे।

(स) स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे–

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र / छात्रा भी सम्मिलित हैं, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

(iii) शासनादेश संख्या जी0आई0 35 / सत्तर–1–2000 दिनांक 23 सितम्बर 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र–छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) क्रमांक–ii क्रमांक–iii में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमांक–i के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्रों कों तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में फीस की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा सूचित किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य चक्रानुसार।

(iii) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ के प्राचार्य द्वारा नामित मेडिसन विभाग का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोट–कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(vi) समय–समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(vii) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जाये।

शैक्षिक अंकों की गणना :–

7. (क) स्नातक कक्षायें–

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें–

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों / ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें :–

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए–

(क)	प्रथम विजेता होने के लिए	5 अंक
(ख)	द्वितीय विजेता होने के लिए	4 अंक
(ग)	तृतीय विजेता होने के लिए	3 अंक
(घ)	प्रतिभाग करने के लिए	2 अंक

2. एन0सी0सी0 ''सी'' सर्टीफिकेट / जी–1 उत्तीर्ण केडिटों को — 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट / जी–1 उत्तीर्ण केडिटों को — 6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। — 3 अंक

3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र / पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र / पौत्री) — 5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को — 5 अंक

5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें–

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए–

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए	8 अंक
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए	7 अंक
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए	6 अंक
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए	3 अंक

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए–

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए	5 अंक
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए	4 अंक
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए	3 अंक
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए	2 अंक

3. एन0सी0सी0 ''सी'' सर्टीफिकेट / जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट / जी–1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को 6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक

4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक
5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो–

(क) प्रथम विजेता होने के लिए	5 अंक
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए	4 अंक
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए	3 अंक
(घ) प्रतिभाग करने के लिए	2 अंक

नोट–उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन0सी0सी0 अधिकारी / एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र / रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ख) सभी कक्षायें–

1. राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी / अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति / पत्नी / पुत्र / पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति / पत्नी / पुत्र / पुत्री 17 अंक
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति–पत्नी / पुत्र / पुत्री (अविवाहित) 10 अंक
3. भारतीय सेना / पैरा मिलट्री फोर्स / अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस / पी0ए0सी0) में कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र / पुत्री / विधवाओं को प्रवेश में। 17 अंक

टिप्पणी–

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट–

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।
2. उपर्युक्त ''1'' से ''3'' के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

   (ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के लिए सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उनके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृति सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

   (स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

   (द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने को अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

   (ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।

   (स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

   (द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पंर्क करता रहे और वेबसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन ''अप–टू–डेट'' जानकारी रखे, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सके।

   प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली–भाँति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ, उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
11. अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने इंटर की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। किसी अन्य बोर्ड/प्रान्त द्वारा इंटर परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. नई शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा।

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़-राष्ट्रीय शिक्षा नीति

कार्यक्रम एवं संकाय

2.1 : विद्यार्थी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का पूर्ण अनुपालन करने पर अपने संकाय में एक वर्ष में सर्टीफिकेट, दो वर्ष में डिप्लोमा, तीन वर्ष में स्नातक डिग्री, चार वर्ष में शोध सहित स्नातक डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर, डिग्री इन्टीग्रेटिड छह वर्ष की पी0जी0डी0आर0 तथा शोध उपाधि मिलेगी यथा बी०ए०, बी०एससी, बी0 कॉम0, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी०एल0ई0, एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पीएच0डी0 इत्यादि।

2.2 : विद्यार्थियों को बहु विषयकता उपलब्ध कराने के लिए संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश–संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 15–06–2021 के अनुसार होगी यथा 1. विज्ञान संकाय, 2. वाणिज्य संकाय, 3. भाषा संकाय, 4. कला संकाय, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, 5. ग्रामीण अध्ययन संकाय, 6. ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय, 7. कृषि संकाय, 8. विधि संकाय, 9. शिक्षक शिक्षा संकाय, 10. प्रबन्धन संकाय, 11. वोकेशनल स्टडीज संकाय।

नोटः भाषा संकाय, ग्रामीण अध्ययन संकाय, ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (बी०ए०) की मिलेगी।

2.3: एक विषय एक ही संकाय में सूचित होगा।

2.4: एक विषय के विभिन्न थ्योरी/ प्रेक्टिकल के पेपर को पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा एवं दोनों के कोड अलग–अलग होंगे ।

1. संकाय निर्धारण :

शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनांक 15–06–2021 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विष्यों एवं संकायों का निर्धारण इस प्रकार है–

कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय	विज्ञान संकाय	भाषा संकाय	ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय	अन्य संकाय
1. रक्षा अध्ययन 2. अर्थशास्त्र 3. शिक्षाशास्त्र 4. भूगोल 5. इतिहास 6. दर्शन शास्त्र 7. शारीरिक शिक्षा 8. राजनीति शास्त्र 9. मनोविज्ञान 10. समाज शास्त्र 11. गृह विज्ञान 12. पुस्तकालय तथा	13. वनस्पति शास्त्र 14. रसायन शास्त्र 15. कम्प्यूटर विज्ञान 16. भूगर्भ विज्ञान 17. गणित 18. भौतिक 19. सांख्यिकी 20. जन्तु विज्ञान 21. जैव प्रौद्योगिक विज्ञान 22. औद्योगिक रसायन विज्ञान	23. संस्कृत 24. हिन्दी 25. अंग्रेजी 26. उर्दू	27. ललित कला 28. संगीत गायन 29. संगीत सितार 30. संगीत तबला 31. संगीत	• विधि • कृषि • ग्रामीण विज्ञान संकाय • शिक्षक शिक्षा • वाणिज्य • प्रबन्धन • व्यावसायिक अध्ययन

शासनादेश संख्या–1065/सत्तर–3–2011–16 (26)/2011 दिनांक 20–04–2021 द्वारा शैक्षिक सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार न्यूनतम पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में लागू किया गया है। जिससे प्रवेश के समय विषय चुनाव, पाठ्क्रम में प्रवेश, निकास, डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गए हैं।

2. विषय चयन की व्यवस्था :

विषय चयन की व्यवस्था निम्न प्रकार रहेगी–

2.1 प्रथम वर्ष में विषयों का चुनाव :

2.1.1 प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय, सर्वप्रथम विद्यार्थी अपने संकाय (कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान/विज्ञान/भाषा/ललित कला एवं प्रदर्शन कला/अन्य संकाय) का चुनाव करेगा, यह उसका ''अपना संकाय'' कहा जायेगा।

2.1.2 तत्पश्चात् विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसको चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है।

2.1.3 इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर विषय (Minor Elective) का चयन इस प्रकार करना होगा कि तृतीय विषय अथवा माइनर विषय में कम से कम एक, उसके अपने संकाय से न हो। यह विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष में केवल एक सेमेस्टर (प्रथम तथा तृतीय अथवा द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर) के लिए ही होगा।

2.1.4 विश्वविद्यालय अनुदान , नई दिल्ली के पत्र सं0 1-18/2019(CPP-II) दिनांक 15–04–2021 द्वारा NCC को एक चार क्रेडिट के माइनर विषय के रूप में मान्यता दी गयी है, अतः यदि कोई विद्यार्थी स्नातक स्तर के वर्षो में NCC-B अथवा NCC-C प्रमाण पत्र अर्जित करता है तो उसे क माइनर विषय मान कर उसके चार क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

2.1.4 इस प्रकार प्रथम वर्ष में छात्र के पास तीन मुख्य विषय, एक माइनर विषय (केवल एक सेमेस्टर में) अथवा NCC (यदि विद्यार्थी प्रथम वर्ष में NCC-B अथवा NCC-C प्रमाण पत्र अर्जित कर सकता है, जो माइनर विषय के विकल्प के रूप में), एक अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम तथा एक रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रति सेमेस्टर होगा।

2.2 द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन एवं विषयों का चुनाव :

2.2.1 द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में छात्र अपने माइनर विषय (Minor Elective) का पुनः चुनाव करेगा, जो प्रथम वर्ष वाला भी हो सकता है अथवा उससे भिन्न भी।

2.2.2 इस प्रकार द्वितीय वर्ष में छात्र के पास तीन मुख्य विषय, एक माइनर विषय (केवल एक सेमेस्टर में) अथवाNCC (यदि विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में NCC-B अथवा NCC-C प्रमाण पत्र अर्जित कर सकता है, तो माइनर विषय के विकल्प के रूप में), एक अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम तथा एक रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रति सेमेस्टर होगा।

2.3 तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन एवं विषयों का चुनाव :

2.3.1 तृतीय वर्ष में छात्र आगामी अध्ययन के लिए प्रथम तीन मुख्य विषयों में से किन्हीं भी दो का चुनाव कर सकते हैं बशर्ते उसने उन दोनों विषयों का प्रथम व द्वितीय वर्ष में मुख्य विषय के रूप में अध्ययन किया हो इसका अर्थ यह है कि छात्र तृतीय वर्ष में अपनी उच्च शिक्षा के लिए उसी विषय का चुनाव कर सकता है, जिसमें उसने प्रथम व द्वितीय वर्ष में मिलाकर 24 क्रेडिट्स अर्जित किये हों अथवा (कक्षोन्नत के स्थिति में) कर सकता हो।

2.3.2 इस प्रकार तृतीय वर्ष में छात्र के पास दो मुख्य विषय एक अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम प्रति सेमेस्टर तथा एक लघु शोध परियोजना होगी।

2.3.3 तृतीय वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी भी एक विषय में स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा रहेगी।

2.3.4 इसके अतिरिक्त तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अपने मुख्य विषय में से किसी एक से सम्बन्धित एक लघु शोध परियोजना भी तैयार करनी होगी, परन्तु CGPA में इसकी गणना नहीं की जाएगी।

2.4 स्नातकोत्तर स्तर पर विषयों का चुनाव :

2.4.1 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के समय छात्र सर्वप्रथम अपने संकाय का निर्धारण करेगा यथा–कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा, ललित कला एवं प्रदर्शन कला, अन्य संकाय तत्पश्चात् प्रत्येक छात्र को अपने विषय के अतिरिक्त एक माइनर विषय किसी अन्य संकाय से चुनना होगा, जो चार क्रेडिट्स का तथा मात्र प्रथम सेमेस्टर में ही पढ़ना होगा।

2.4.2 इस प्रकार अपनी शिक्षा के चतुर्थ वर्ष में छात्र के पास प्रथम सेमेस्टर में एक मुख्य विषय तथा एक माइनर विषय होगा, परन्तु आगमी अन्य सेमेस्टर में वह केवल अपने मुख्य विषय का ही अध्ययन करेगा। चतुर्थ व पंचम वर्ष में छात्र को एक–एक शोध परियोजना भी करनी होगी, जिसके आठ क्रेडिट्स उसके CGPA में जोड़े जायेंगे।

3. रोजगार परक / कौशल विकास (Vocational/Skill Development Courses) के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में :

3.1 रोजगार परक पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं–

- Individual Nature-एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम
- Progressive Nature-एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जाएगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण हो सकेगा।

3.2 प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में तीन क्रेडिट्स (कुल 3x4=12 क्रेडिट्स के कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

3.3. विद्यार्थी अपनी पसन्द तथा सुविधानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर उसे ऑनलाइन पोर्टल जैसे UGC, SWAYAM, MOOC's etc पर पूर्ण कर सकता है।

3.4 इस रोजगारपरक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर अर्जित किये गये क्रेडिट्स के सर्टिफिकेट को विद्यार्थी महाविद्यालय में जमा करायेंगे, जिससे वह उनके परीक्षा परिणाम में यथा स्थान पर जोड़ा जा सके।

3.5 ऑफलाइन कोर्सेज के लिए विद्यार्थी को महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो भी रोजगार परक कोर्स संचालित हो रहे हों, उन्हीं का चुनाव करना होगा।

3.6 महाविद्यालय इनके लिए अपने स्तर पर एक कौशल विकास प्रकोष्ठ का गठन कर सकता है, जिसका कार्य इन कोर्सेज को संचालित करने हेतु आवश्यक निर्णय लेना होगा।

4. अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम Co-Curricular Courses) :

4.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों के कुल छह सेमेस्टर में से प्रत्येक में एक सह–पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा,

इन छह सेमेस्टरों में निर्धारित सह–पाठ्यक्रम निम्न हैं–

- First Semester-Food Nutrition and Hygiene
  भोजन, पोषण एवं स्वच्छता
- Second Semester-First Aid and Health
  प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य
- Third Semester-Human Values and Enviromental Studies
  मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन
- Fourth Semester-Physical Education and Yoga
  शारीरिक शिक्षा और योग
- Fifth Semester-Analytic Ability and Digital Awareness
  विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल जागरूकता
- Sixth Semester-Communication Skills and Personality Development
  संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास

4.2 इन सभी सह–पाठ्यक्रम को न्यूनतम 40% अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। विद्यार्थी की अंक तालिका पर इनके ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु इन्हें CGPA की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, परन्तु इन्हें उत्तीर्ण किये बिना विश्वविद्यालय द्वारा, विद्यार्थी को निकास करने पर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री उपाधि आवंटित नहीं होगी।

4.3 अनिवार्य सह पाठ्यक्रम की 75 अंकों की बाह्य परीक्षा का संचालन विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा।

4.4 इन सभी कार्सेस का विस्तृत पाठ्यक्रम इस लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है–
http://learningmedia.in/up-univ-nep-syllabus-2020

5. लघु शोध प्रबन्ध / शोध परियोजना :

5.1 स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को तृतीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक वर्ष में (चतुर्थ एवं पंचम वर्ष) एक लघु शोध परियोजना पूर्ण करनी होगी।

5.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गए तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय में एवं चतुर्थ तथा पंचम वर्ष के मुख्य विषय में एक शोध परियोजना पूर्ण करनी होगी। यह शोध परियोजना इंटर डिसिप्लिनरी भी हो सकती है अथवा ट्रेनिंग / इंटर्नशिप / सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

5.3 शोध परियोजना एक शिक्षक मेंटर के निर्देशन में की जाएगी तथा इसमें एक अन्य शिक्षक को, जो किसी उद्योग, कम्पनी अथवा तकनीकी संस्थान में कार्यरत हो, को–सुपरवाइजर के रूप में भी लिया जा सकता है।

5.4 विद्यार्थी वर्ष के अन्त में दोनों सेमेस्टर में की गयी शोध परियोजना की एक संयुक्त शोध परियोजना महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक एवं आतंरिक परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। अनुदानित अथवा शासकीय महाविद्यालयों में नियमित शिक्षक होने की दशा में सुपरवाइजर / मेंटर ही आंतरिक परीक्षक होगा, परन्तु अन्य सभी महाविद्यालयों में आंतरीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा नामित होगा।

5.5 शोध परियोजना का शीर्षक मेंटर द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में ही आवंटित कर दिया जायेगा। यह शोध परियोजना विभाग द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षक की देखरेख में, छात्र संख्या अधिक होने पर, चार से छह विद्यार्थियों के समूह बनाकर सामूहिक रूप से जमा की जाएगी। स्नातक स्तर पर महाविद्यालय द्वारा, परियोजना हेतु दो में से एक मुख्य विषय का चयन, छात्र संख्या के अनुपात में एकसमान रूप से किया जाना चाहिए। प्रत्येक समूह प्रबन्ध की दो प्रति, वर्ष के अंत में, विभाग में जमा करेगा। सामूहिक रूप से जमा की गयी यह शोध परियोजना लगभग चालीस से पचास पृष्ठों की होगी। मौखिक परीक्षा (Viva Examination) के आधार पर भिन्न–भिन्न विद्यार्थियों के अंक निर्धारण भिन्न–भिन्न हो सकते हैं। यह लघु प्रबन्ध प्रत्येक छात्र के लिए महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

5.6 स्नातक स्तर (तृतीय वर्ष) के विद्यार्थी की अंक तालिका पर शोध परियोजना के अंक तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें CGPA की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

5.7 स्नातक (शोध सहित) चतुर्थ वर्ष तथा स्नातकोत्तर पंचम वर्ष की शोध परियोजना के आठ क्रेडिट्स व ग्रेड CGPA की गणना में सम्मिलित किये जायेंगे। तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में शोध परियोजना पूर्ण करना अनिवार्य है, इसे पूर्ण किये बिना विश्वविद्यालय द्वारा आगामी वर्ष में कक्षोन्नति नहीं की जाएगी।

5.8 त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात् चतुर्वर्षीय डिग्री के लिए भी छात्र को उस विषय में नया प्रवेश लेना होगा, जोकि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जायेगा।

6. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास, पुनः प्रवेश एवं Ex. छात्र होने के प्रतिबन्ध :

6.1 प्रत्येक छात्र को विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा, परन्तु इसके लिए विद्यार्थी ने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्म जमा किया हो, आवश्यक उपस्थिति 75 प्रतिशत पूर्ण की हों तथा निर्धारित आंतरिक तथा बाह्य परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ हो।

6.2 प्रथम से पंचम वर्ष तक आवश्यक कुल क्रेडिट्स तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट का वितरण इस प्रकार है–

वर्ष	कुल आवश्यक क्रेडिट्स	मुख्य विषर्यो के क्रेडिट्स
प्रथम	46 / 48	36
द्वितीय	46 / 48	36
तृतीय	40	40
चतुर्थ	52	40
पंचम	48	40

6.3 यदि छात्र वर्तमान वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स उपार्जित किये जाते हैं तथा निर्धारित सह–पाठ्यक्रमों को न्यूनतम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लेता तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान वर्ष से आगामी वर्ष में "PASS" टिप्पणी द्वारा कक्षोन्नति किया जायेगा।

6.4 यदि छात्र द्वारा कुल आवश्यक क्रेडिट्स उपार्जित नहीं किये जाते हैं, तो कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट्स अर्जित किये जाने पर ही उसे वर्तमान वर्ष से आगमी वर्ष में "BACK PROMOTED" टिप्पणी क्षरा कक्षोन्नत किया जायेगा।

6.5 कोई भी विद्यार्थी वर्तमान वर्ष से आगमी वर्ष में तब तक कक्षोन्नत नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह विगत वर्ष के कुल क्रेडिट्स अर्जित नहीं कर लेता तथा सभी निर्धारित सह–पाठ्यक्रमों को न्यूनतम 40% अंकों के साथ उत्तीण नहीं कर लेता।

6.6 यदि विद्यार्थी बिन्दु 6.3 अथवा बिन्दु 6.4 प्रतिबन्ध पूर्ण नहीं करता, तो "FAIL" टिप्पणी के साथ EX-STUDENT होगा तथा वह आगामी वर्षों में सम्बन्धित विषयों की पुनः परीक्षा देकर आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित कर सकता है।

6.7 अनुतीर्ण छात्र महाविद्यालय में प्रवेश लिए बिना, आगामी वर्षों में विश्वविद्यालय की बाह्य परीक्षा में केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जिनमें वो फेल घोषित हुए थे।

6.8 विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकपत्रों में निम्न टिप्पणी दर्शायी जाएगी–

PROMOTED	**विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में प्रोन्नत** महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किया हो, आवश्यक उपस्थिति 75 प्रतिशत पूर्ण की हो तथा निर्धारित आंतरिक तथा बाह्य परीक्षओं में सम्मिलित हुआ हो।
PASS PROMOTED	वर्तमान वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित किये हों तथा निर्धारित सह–पाठ्यक्रमों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण कर चुका हो।
BACK PROMOTED	**प्रथम से द्वितीय वर्ष में** कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट्स अर्जित किये हों। **अन्य वर्षों में** वर्तमान वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट्स अर्जित किये हों। तथा विगत वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित किये हों तथा निर्धारित सह–पाठ्यक्रमों का न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण कर चुका हो।
FAIL NOT PROMOTED	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी परिस्थितियों में EX-STUDENT

6.9 यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमेस्टर का विश्वविद्यालय द्वरा निर्धारित शुल्क तो जमा करता है, लेकि परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होता, तो वह आगमी वर्षों में Ex-Student होगा। परन्तु यदि वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही जमा नहीं कर पाता है, तो आगामी वर्षों में शुल्क जमा कर उसी सेमेस्टर में पुनः नियमित प्रवेश हेतु अर्ह होगा।

6.10 प्रथम वर्ष में निकास करने पर विद्यार्थी को "Certificate in Faculty", द्वितीय वर्ष में निकास पर "Diploma in Faculty" तथा तृतीय वर्ष में निकास पर "Degree in Faculty" प्रदान की जाएगी। इसके लिए छात्र द्वारा एक वर्ष में न्यूनतम **46 क्रेडिट्स** दो वर्ष में न्यूनतम **92 क्रेडिट्स** तथा तीन वर्षो में न्यूनतम **132 क्रेडिट्स अर्जित** करना तथा सभी वर्षों के अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम तथा अपने तृतीय वर्ष के लघु शोध परियोजना पूर्ण करना अनिवार्य है।

6.11 कोई भी एक उपाधि पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष तथा स्नातक उपाधि पूर्ण करने की कुल अधिकतम अवधि नौ वर्ष है।

6.12 चतुर्थ वर्ष अर्थात "Bachelor of Research" तथा पंचम वर्ष अर्थात् " Master in Faculty" उपाधि पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 06 वर्ष है तथा इसके लिए छात्र द्वारा चार वर्ष में न्यूनतम **184 क्रेडिट्स** तथा पांच वर्ष में **न्यूनतम 232 क्रेडिट्स** अर्जित किये जाने चाहिये तथा लघु शोध परियोजना को पूर्ण करना अनिवार्य है।

6.13 षष्टम् वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिए : यह वर्ष उच्च शिक्षा का अंतिम वर्ष होगा जिसे पूर्ण करने पर ''स्नातकोत्तर उपाधि (शोध सहित)'' (Post Graduate Degree of Research) प्राप्त होगी।

- इस वर्ष प्रथम सेमेस्टर अर्थात ग्यारहवे सेमेस्टर में छात्रों को सम्बंधित विषय के दो पाठ्यक्रम (प्रति छह क्रेडिट्स) तथा एक चार क्रेडिट का अनिवार्य पाठ्यक्रम "Research Methodology" का अध्ययन करना होगा।
- इस प्रकार इस सेमेस्टर में कुल अधिकतम 16 क्रेडिट्स अर्जित करने के पश्चात् छात्र, शोध की ओर अग्रसर हो जायेगा तथा अगले सेमेस्टर से शोध प्रबन्ध व शोध प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा।

7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण :

7.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घण्टा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, ''क्रेडिट का सामान्य अर्थ है, एक सप्ताह में शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध समय (घण्टे)'' अर्थात थ्यारी के एक क्रेडिट के पेपर में एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घण्टे का शिक्ष्ण कार्य करना होगा।

7.2 प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घण्टे का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घण्टे का कार्य करना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना इस प्रकार की जाएगी–Hours of Theory + ½ (Hours of Practical/Internship./Field Work)

7.3 शब्द ''ऑफर क्रेडिट'' तथा ''अर्जित क्रेडिट'' अलग–अलग रूप से प्रयुक्त होगा, विद्यार्थी को प्रवेश के समय सम्बन्धित विषयों के क्रेडिट्स ऑफर तो होंगे, परन्तु वह उन क्रेडिट को तभी अर्जित करेगा, जब विषय की आवश्यक परीक्षा में स्नातक स्तर पर 33 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण होकर ग्रेड अर्जित कर ले।

7.4 क्रेडिट्स का राज्य स्तर पर संरक्षण–क्रेडिट्स सम्बन्धी समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या1816 / सत्तर–3–2021 दिनांक 09–08–2021 के माध्यम से किये जायेंगे।

7.5 क्रेडिट अर्जन तथा उपयोग के पश्चात री–क्रेडिट की सुविधा–यदि कोई छात्र एक वर्ष की शिक्षा के बाद 46 क्रेडिट्स का उपयोग कर, सर्टिफिकेट प्राप्त कर निकास कर जाता है, तो उसके क्रेडिट्स खर्च मान लिए जाऐंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह अपना मूल सर्टिफिकेट जमा कर 46 क्रेडिट्स अपने खाते में री–क्रेडिट करेगा। जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष के पश्चात् 92 (46+46) क्रेडिट्स अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है, तो वह निकास के समय एक दो अथवा तीन वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / डिग्री का पात्र होगा।

7.6 संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोमा नहीं–द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा तृतीय मुख्य विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आऐंगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित करने होंगे।

7.7 संकाय में डिग्री–तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय के तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट्स 112 के 60 प्रतिशत अर्थात न्यूनतमत 67 क्रेडिट्स प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे B.A./B.Sc./B.Com. की उपाधि प्रदान की जाएगी तथा अंतिम वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी भी एक विषय में वह स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अर्ह होगा।

7.8 बैचरल ऑफ लिबरल एजुकेशन–यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय के तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट्स 112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट्स अर्जित नहीं कर पाता, तो वह बैचलर ऑफद्य लिबरल एजुकेशन डिग्री का पात्र होगा तथा वह उन्हीं विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतः इस श्रेणी में कला वर्ग के ऐसे विषय आऐंगे, जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

7.9 यदि कोई विद्यार्थी अपने सर्टिफिकेट / डिप्लोमा के क्रेडिट्स, री–क्रेडिट्स कर आगमी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गए क्रेडिट्स का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

7.10 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट्स–रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को तीन क्रेडिट्स अर्थात प्रति वर्ष छह क्रेडिट्स अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी इससे अधिक क्रेडिट्स वाले रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का भी चुनाव कर सकता है, परन्तु सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / डिग्री प्राप्त करने में एक वर्ष में छह व दो वर्षों में 12 क्रेडिट्स का ही उपयोग किया जायेगा।

8. परीक्षा व्यवस्था–

81. सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिए सतत आंतरिक मूल्यांकन तथा 75 अंकों के लिए बाह्म मूल्यांकन पर आधारित होगी।

8.2 25 अंकों का आतंरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रम में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप असाइनमेंट, क्लास टेस्ट व अन्य रिपोर्ट्स के आधार पर होगा, जिनका ब्यौरा सम्बन्धित विभाग / महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।

8.3 अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम की आतंरिक व बाह्म दोनों परीक्षाएँ बहु–विकल्पीय आधार पर होंगी तथा उत्तीर्ण प्रतिशत न्यूनतमत 40 प्रतिशत होगा।

8.4 विद्यार्थी द्वारा अर्जित आंतरिक व बाह्म परीक्षाओं में कुल प्राप्तांक को जोड़कर विश्वविद्यालय द्वारा निम्न क्रेडिट एवं फार्मूला के आधार पर परसेंटाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर लिया जायेगा–

GRADE	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	OUTSTANDING	91-100	10
A+	EXCELLENT	81-90	9
A	VERY GOOD	71-80	8
B+	GOOD	61-70	7
B	ABOVE AVERAGE	51-60	6
C	AVERAGE	41-50	5
P	PASS	33-40 (स्नातक स्तर के लिए) Absolute 40 (स्नातकोत्तर स्तर के लिए	4
AB	ABSENT		0
F	FAIL	0-32 (स्नातक स्तर के लिए) 0-39 (स्नातकोत्तर स्तर के लिए	0
Q	QUALIFIED	For Non-Gradable Courses	0
NQ	NOT QUALIFIED	For Non-Gradable Courses	0

8.5 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन 100 अंकों में से महाविद्यालय तथा ट्रेनिंग/इंटरशिप/स्किल पार्टनर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा जिसमें उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होंगे। यहाँ प्रशिक्षण/प्रयोगात्मक मूल्यांकन 60 अंकों का तथा थ्योरी मूल्यांकन 40 अंकों का होगा, दोनों को मिलाकर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

8.6 SGPS एवं CGPA की गणना इस प्रकार की जिएगी–

FOR J-th SEMSTER- SGPA (Sj) = (Ci xGi) / Ci CGPA = (Cj xSj) / Cj	Where Ci = Number of Credits of the i-th couse in j-th Semester Gi = Grade Points scored by the student for i-th course in j-th Semster Where Sj = SGPA for the j-th Sembeter Cj = Total number of Credits of j-th Semster

8.7 CGPA की प्रतिशत अंकों में गणना–समतुल्य प्रतिशत = CGPA X 9.5

8.8 श्रेणी वर्गीकरण की व्यवस्था–
प्रथम श्रेणी CGPA 6.5 से अधिक
द्वितीय श्रेणी CGPA 5.0 से अधिक तथा 6.5 से कम
तृतीय श्रेणी CGPA 4.0 से अधिक तथा 5.0 से कम

9. उपस्थिति व क्रेडिट वेलिडेशन :

9.1 क्रेडिट्स वेलिडेशन (अर्जित क्रेडिट्स) के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करके ग्रेड प्राप्त करने के पश्चात् ही क्रेडिट्स अर्जित होंगे अर्थात परीक्षा के बिना क्रेडिट्स अपूर्ण रहेंगे।

9.2 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा आयोजित आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो उसे आंतरिक परीक्षा में शून्य अंक आवंटित किये जायेंगे। इस स्थिति में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कुल पूर्णांक 100 के स्नातक स्तर पर न्यूनतम 33 प्रतिशत या स्नातकोत्तर स्तर पर 40 प्रतिशत प्राप्तांक, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बाह्म परीक्षा में प्राप्त करने होंगे।

9.4 यदि कोई छात्र उपस्थिति के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बाह्म परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारणवश आतंरिक परीक्षा में तो सम्मिलित होता है परन्तु बाह्म परीक्षा नहीं दे पाता अथवा फेल हो जाता है, तो विद्यार्थी का आगामी वर्षों में महाविद्यालय की आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना वैकल्पिक है, उसके आंतरिक परीक्षा के वही अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित कर बाह्म परीक्षा के अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

9.5 स्नातक स्तर पर बाह्य परीक्षा में न्यूनतम 25 अंक तथा कुल परीक्षा में (आंतरिक व बाह्य परीक्षा के अंकों को जोड़ कर) 33 अंक प्राप्त करने पर तथा परास्नातक स्तर (उच्च शिक्षा के चतुर्थ, पंचम व षष्ठम वर्ष) में बाह्य परीक्षा में न्यूनतम 30 अंक तथा कुल परीक्षा में (आंतरिक व बाह्य परीक्षा के अंकों को जोड़ कर) 40 अंक प्राप्त करने पर विद्यार्थी उस विषय में उत्तीर्ण होकर, उसके निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर सकता है।

9.6 उत्तर प्रदेश शासन जारी शासनादेशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा इसमें आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं तथा अन्य कोई बिन्दु जो यहाँ उल्लिखित नहीं है, उसका स्पष्टीकरण भी समय–समय पर जारी शासनादेशों के ही अधीन रहेगा।

10. अनुमोचन, विद्यार्थी सहायता कोष तथा छात्रवृत्तियाँ

(क) शुल्क-अनुमोचन

उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कॉलिज की छात्र संख्या के 17% के लिए पूर्ण शुल्क मुक्ति का प्रावधान है। शुल्क–मुक्ति अधोलिखित नियमों के आधार पर की जाती है :–

(अ) अर्हता

1. केवल वही छात्र शुल्क–मुक्ति के योग्य समझे जाएगें, जिन्होंने विगत वर्ष की परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हों तथा उनका चरित्र एवं व्यवहार वर्ष भर संतोषजनक रहा हो।
2. स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वार्द्ध परीक्षा में प्राप्तांक 50% से कम होने पर उत्तरार्द्ध कक्षा में पूर्ण शुल्क मुक्ति का लाभ नहीं मिल सकेगा।

(ब) अयोग्यता

ऐसे छात्र जो निम्नलिखित किसी वर्ग में आते हैं वे शुल्क मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

1. छात्र, जिनको कोई अन्य आर्थिक सहायता मिल रही है।
2. अनुसूचित / पिछड़ी / सामान्य जाति के वे छात्र जिन्हें राजकीय छात्रवृत्ति मिलती हो।
3. गतवर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण / पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण / परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करते पाए गए छात्र।
4. ऐसे छात्र जो शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत हैं या जिनके विरूद्ध न्यायालय में निर्णय के लिए कोई मामला विचाराधीन है तथा अनुशासनहीनता में लिप्त छात्र।

(स) प्रक्रिया

1. शुल्क मुक्ति हेतु छात्र–आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त करें, यथा स्थान प्रविष्टियाँ भरकर उसे प्रवेश के समय ही कार्यालय में जमा कर दें।
2. छात्र आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र अवश्य लगाएँ–
   (क) अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका।
   (ख) विगत संस्था में छात्रवृत्ति / शुल्क–मुक्ति, यदि प्राप्त की हो तो उसका प्रमाण पत्र।
   (ग) खेल / साहित्य / सामाजिक विशेष योग्यता प्रमाण पत्र ।
   (घ) पिता / संरक्षक की जो आय निम्नलिखित में से किसी एक स्रोत अथवा अधिक स्रोतों से हो, उसके / उनके सामने अंकित प्रमाण–पत्र की मूल प्रतिलिपि ।

आय स्रोत प्रमाण-पत्र (मूल प्रतिलिपि)

1.	मासिक वेतन मंहगाई भत्ते सहित	तत्सम्बन्धी आहरण पदाधिकारी / राजपत्र अधिकारी / अन्य
2.	खेती एवं पशु	तहसीलदार / कानूनगो / ब्लाक प्रमुख
3.	व्यवसाय	बिक्रीकर विभाग / नगरपालिका / टाउन एरिया / ग्रामसभा के अधिकारी / मालिक दुकान / किराया रसीद / ठेकेदार तहबाजारी

शुल्क–मुक्ति हेतु प्राप्त सभी आवेदन–पत्रों पर निर्णय उन पर प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर एक शुल्क अनुमोचन समिति द्वारा किया जाएगा।

(ख) विद्यार्थी सहायता कोष

निर्धन छात्रों की सहायता के लिए विद्यार्थी सहायता कोष की स्थापना की गई है। इस कोष से विद्यार्थियों को निम्नलिखित नियमों के अनुसार सहायता मिल सकती है :–

1. निर्धन छात्र–छात्राओं को पुस्तकें, वस्त्र, औषधि तथा शुल्क आदि के लिए सहायता की जायेगी।
2. सहायता देते समय विगत वर्ष के परीक्षा परिणामों को भी ध्यान में रखा जाएगा और अनुसूचित जातियों के छात्र इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं।
3. अध्ययन के लिए कॉलिज या सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता रहे है विद्यार्थियों को सामान्यतः कोई सहायता नहीं दी जाएगी। भ्रामक सूचना के आधार पर स्वीकृत सहायता तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।
4. छात्र का उचित पात्र होना आवश्यक है।
5. महाविद्यालय की अनुशासन नियमावली का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी आर्थिक सहायता के पात्र नहीं होंगे।
6. सहायता कोष से दी जाने वाली सहायता राशि अधिकतम छः माह की ट्यूशन फीस के बराबर होगी।

(ग) छात्रवृत्तियाँ

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त

1. अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति।
2. मेधावी छात्रवृत्ति (केवल प्रथम श्रेणी अथवा उत्कृष्ट द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों के लिए)।
3. विकलांग छात्रवृत्ति (केवल मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाण–पत्र के आधार पर)।
4. अनारक्षित वर्ग (आय के आधार पर)।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग (आय के आधार पर)।

टिप्पणी : विभिन्न छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश के समय ही कॉलिज के लेखा विभाग में छात्रवृत्ति सहायक से सम्पर्क स्थापित कर आवेदन–पत्र जमा करें।

3. **शुल्क**–अनुमोचन एवं विद्यार्थी सहायता कोष के प्रार्थना–पत्र एक साथ ही कॉलिज द्वारा आमंत्रित किए जायेंगे तथा एक समिति द्वारा एक साथ दोनों सहायता आवेदन–पत्रों का निर्णय किया जाएगा। किसी भी स्थिति में पूर्ण शुल्क–मुक्ति (शिक्षण शुल्क) से अधिक का लाभ देय नहीं होगा ।

11. विद्यार्थियों द्वारा ध्यान देने तथा पालन करने हेतु नियम

(क) अनुशासन विभाग

छात्रों में अनुशासन, शिष्टाचार एवं आत्मसंयम की भावना का विकास करने के लिए कॉलिज में अनुशासन विभाग है। इस विभाग का संचालन एवं निर्देशन मुख्य अनुशासन अधिकारी की देख–रेख में होता है। मुख्य अनुशासन अधिकारी की सहायता के लिए एक अनुशासन समिति गठित की जाती है। कॉलिज में अनुशासन नियमों का पालन करना छात्र–छात्राओं के लिए अति आवश्यक है। छात्र–छात्राओं द्वारा अनुशासन सम्बन्धी सभी समस्याएं मुख्य अनुशासन अधिकारी को ही सूचित की जायें उन समस्याओं का मुख्य अनुशासन अधिकारी उचित निराकरण करेंगे। मुख्य अनुशासन अधिकारी छात्र–छात्राओं को कॉलिज परिसर के अतिरिक्त शहर में किए गए आचरण पर भी निर्णय देने के अधिकारी है।

कॉलिज में परिचय–पत्र लेकर आना अनिवार्य है। किसी भी समय अनुशासन मण्डल या अन्य शिक्षक द्वारा परिचय पत्र मांगा जा सकता है। इसके न होने पर दंडित किया जा सकता है। परिचय–पत्र की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र–छात्राओं का है। परिचय–पत्र खो जाने की स्थिति में रु0 50/– के साथ एक फोटो जमा करने पर ही दिया जा सकेगा। अनुशासन नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप किसी भी छात्र–छात्रा को कॉलिज से प्राचार्य द्वारा निष्कासित/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। (महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की समस्याओं के निराकरण हेतु महिला अनुशासन अधिकारी तथा महिला प्रकोष्ठ कार्यरत है। महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरन्त महिला प्रकोष्ठ प्रभारी को सूचित करें।)

(ख) शिष्टाचार सम्बन्धी सामान्य नियम :

1. कॉलिज परिसर में विद्यार्थियों को गुटखा, पान, तम्बाकू, धूम्रपान या कोई मादक पदार्थ सेवन करना पूर्णरूप से वर्जित एवं दंडनीय है।
2. कॉलिज परिसर में विद्यार्थियों का वार्तालाप संयमित एवं मृदु होना चाहिए।
3. कक्षाओं के द्वार पर अथवा बरामदे में छात्र तेज स्वर में वार्तालाप न करें।
4. कॉलिज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शालीनता पूर्ण वार्ता एवं व्यवहार सर्वथा अपेक्षित है। अन्यथा अनुशासनहीनता मानी जायेगी।
5. केवल आवश्यक कार्य से ही कार्यालय कक्ष में पूर्वाज्ञा से जाएँ।
6. कोई भी विद्यार्थी अपने खाली समय में बाहर बरामदे में या कॉलिज प्रांगण में न घूमे। पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करें या छात्र लॉन में बैठें तथा छात्राएं खाली समय में छात्रा–कक्ष में ही बैठें।
7. कॉलिज द्वारा निर्धारित परिधान में ही कॉलिज आना अनिवार्य है।
8. दीवारों, श्यामपटों या शौचालयों में अपशब्द लिखना दंडनीय है।
9. कॉलिज की सम्पत्ति के सदुपयोग, रख–रखाव एवं सुरक्षा का भार विद्यार्थियों पर है। यदि किसी छात्र या छात्रा को बाहरी व्यक्ति हानि पहुँचाए तो उसकी सूचना तुरन्त कॉलिज प्रशासन को दें।
10. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखें।
11. छात्राओं के संरक्षक अथवा उनके परिवार के सदस्य बिना मुख्य अनुशासन अधिकारी की पूर्व अनुमति, के कक्षाओं के दौरान अथवा कॉलिज में छात्राओं से नहीं मिल सकेंगे। अनुशासन अधिकारी यदि उचित समझेंगे तो अनुशासन कार्यालय में छात्राओं को बुलाकर उनसे मिलने की अनुमति देंगे। इस नियम का उल्लंघन करने पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं बाहरी तत्वों कें खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
12. कॉलिज में कक्षाओं के दौरान कॉलिज के मुख्य द्वार के सामने साइकिल अथवा अन्य वाहन खड़ा करना दंडनीय है। ऐसी स्थिति में वाहन को साइकिल स्टैण्ड पर भेज दिया जायेगा और सायं 5 बजे के उपरान्त ही रु0 200/– दण्ड शुल्क।
13. साइकिल स्टैण्ड के कर्मचारियों के साथ सभी छात्र सद्भावना पूर्ण व्यवहार करेंगे तथा साइकिल या अन्य वाहन को सइकिल स्टैण्ड पर खड़ा करें। अनावश्यक रूप से साइकिल स्टैण्ड पर खड़े नहीं होंगे। बिना ताले की साइकिल व अन्य वाहन को साइकिल स्टैण्ड पर खड़ा करने की अनुमति नहीं है।

(ग) आचार संहिता

1. कक्षाओं में नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. कॉलिज में शान्ति बनाए रखेंगे।
3. सूचना पट पर ही छात्रों से सम्बन्धित सूचनाएँ दी जायेंगी।
4. किसी भी दशा में कॉलिज की व्यवस्था को भंग न किया जाए।
5. किसी हड़ताल में शामिल न हों।
6. कॉलिज में कोई हैण्डबिल/पैम्पलेट आदि न तो वितरित करेंगे और न ही किसी कार्य हेतु चन्दा एकत्रित करेंगे।
7. किसी भी जाति/धर्म/भाषा/प्रान्त/राजनीति दल आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव प्रदर्शित नहीं करेंगे व मानवता और मानव प्रेम के आधार पर ही व्यवहार करेंगे जो राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है।
8. कॉलिज परिसर का कोई भाग पोस्टर चिपकाने तथा दीवारों पर लिखने आदि के लिए प्रयोग नहीं करेगें।

9. शीतल जल के लिए अनेक वाटर कूलर लगाये गये हैं। प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है कि वह पीने के पानी को बर्बाद न करें।
10. महाविद्यालय परिसर के पौधों को किसी प्रकार हानि न पहुंचायें।
11. अपना कॉलिज परिचय–पत्र कॉलिज अथवा कॉलिज के बाहर हर समय अपने साथ रखेंगे तथा किसी भी शिक्षक द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करेंगे।
12. अन्य संस्थाओं के बाहरी छात्रों अथवा अवांछनीय तत्वों का कॉलिज में आना या लाना वर्जित है।
13. खोई हुई वस्तु पाने पर उसे अपने विवरण के साथ तुरन्त अनुशासन अधिकारी के पास जमा करेंगे।
14. स्वतन्त्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस पर कॉलिज में आयोजित समारोहों में भाग लेंगे।
15. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है।

नोट–सभी छात्र–छात्राओं के लिए कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

(घ) चरित्र प्रमाण-पत्र

1. चरित्र सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का अधिकारी केवल वह छात्र होगा जो कॉलिज में न्यूनतम छः माह की अध्ययन–अवधि पूर्ण कर चुका हो।
2. छः माह में केवल एक बार ही कोई छात्र चरित्र प्रमाण–पत्र ले सकता है।
3. सामान्यतः चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदन देने के तीसरे दिन दिया जाता है। यदि कोई छात्र अतिशीघ्र अर्थात 24 घण्टे में यह प्रमाण–पत्र चाहता है, तो उसे 20 रु0 कार्यालय में जमा करने होंगे।

(ङ) रेल अथवा बस किराया अनुमोचन : घर जाने के लिए रेल/बस किराया अनुमोचन कॉलिज के ग्रीष्म अवकाश के समय प्रवेश आवेदन–पत्र पर अंकित घर के पते पर दिया जाएगा, अन्य पते पर नहीं।

(च) कार्यालय नियम : छात्र–छात्राओं को सामान्यतः 10 बजे से 1 बजे तक कार्य दिवस में कार्यालय सहायक से सम्पर्क करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त अनुमति लेकर ही मिलें।

(छ) छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित परिधान :

1. **सभी छात्रों के लिए स्टील ग्रे पैंट, सफेद कमीज। जाड़ों में इसके ऊपर नेवी ब्लू कलर का स्वेटर या कोट।**
2. **सभी छात्राओं के लिए सफेद सलवार, हल्के गुलाबी रंग का कुर्त्ता एवं सफेद दुपट्टा अथवा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी एवं सफेद ब्लाउज। जाड़े के दिनों में केवल काला स्वेटर या कोट।**
3. निर्धारित परिधान में न आने पर छात्र–छात्राओं को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ज) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का परिधान (BBA, BCA):

1. छात्रों के लिए ब्लू पर सफेद लाइन के शर्ट तथा ग्रे पेन्ट। जाड़ों में इसके ऊपर नेबी ब्लू कलर का स्वेटर या कोट।
2. **छात्राओं के लिए ब्लू पर सफेद लाइन का कुर्ता, सफेद सलवार एवं सफेद दुपट्टा। जोड़ों के दिनों में केवल काला स्वेटर या कोट।**

   नोट–शर्ट व कुर्ता के कपड़े का नमूना प्रवेश के समय प्राप्त कर लें।

(झ) परीक्षा के दौरान भी छात्र–छात्राओं के लिए निर्धारित परिधान में आना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।

12. विशिष्ट योजनाएँ व अन्य सुविधायें

शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का चहुँमुखी विकास करना है। अतः कॉलिज में जहाँ अध्ययन एवं शोध–कार्यों पर ध्यान दिया जाता है, वहीं छात्रों के शारीरिक ,मानसिक एवं नैतिक विकास हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

(I) पुस्तकालय एवं वाचनालय-पुस्तकालय के सामान्य नियम :-

1. सत्र के प्रारम्भ में प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। छात्र आवेदन पत्र पुस्तकालय काउन्टर से 5 रु0 देकर प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय कार्ड अपना परिचय–पत्र दिखाने पर मिलेगा। कार्ड खो जाने पर इसकी सूचना तुरन्त पुस्तकालयाध्यक्ष को दें। डुप्लीकेट कार्ड पाँच रु0 जमा करने पर बनेगा। खोये कार्ड पर यदि कोई छात्र पुस्तक ले गया हो तो उसकी जिम्मेदारी कार्ड धारक छात्र की होगी।
2. पुस्तकालय से पुस्तक कार्ड पर केवल 15 दिन के लिए पढ़ने को मिलगी। इस अवधि के बाद पुस्तक सुरक्षित नहीं लौटाने पर 1 रूपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क लगेगा। यह विलम्ब शुल्क माफ नहीं किया जायेगा।
3. पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकों आदि की सुरक्षा का दायित्व विद्यार्थी पर ही होगा। अतः पुस्तक लेते समय उसे खोलकर देख लें कि कहीं कोई पृष्ठ गायब या कटा–फटा तो नहीं है। लौटाते समय अपूर्ण या फटी हुई पुस्तक स्वीकार नहीं होगी।
4. पुस्तकालय भवन में प्रवेश करने से पूर्व विद्यार्थी अपनी निजी पुस्तकें तथा अन्य सामग्री पुस्तकालय के काउन्टर पर जमा कर दें तथा जाते समय ले लें।
5. पुस्तकालय कार्ड वर्ष के अन्त में पुस्तकालय को लौटाना होगा।
6. पत्र–पत्रिकाएँ तथा अध्ययन कक्ष में अध्ययन हेतु पुस्तकें परिचय– पत्र जमा करने पर प्राप्त हो सकेंगी। बिना अनुमति के पुस्तक या पत्रिकाएँ ले जाना दंडनीय होगा।
7. पुस्तकालय कार्ड अहस्तान्तरणीय है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी उत्तरदायी होने के साथ ही दण्ड के भागी होंगे।
8. पुस्तकालय में शोध ई–पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध है।

(II) बुक बैंक

इस योजना से सम्बन्धित विस्तृत नियमावली पुस्तकालय के बुक–बैंक विभाग से प्राप्त की जा सकती है। बुक–बैंक से छात्र पुस्तकों के कुल मूल्य का 50% धन सुरक्षा राशि जमा करके पुस्तक ले सकते हैं। पुस्तक वापिस करने पर 15% धनराधि काटकर शेष विद्यार्थी को वापिस कर दी जायेगी।

(III) एन० सी० सी० : (N. C. C.) : केवल बी0 ए0, बी0 एस–सी0 तथा बी0 कॉम0, बी0ए0 एल–एल0बी0, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 के छात्र–छात्राओं को एन0 सी0 सी0 की शिक्षा दी जाती है। जिसमें बी0 ए0/बी0 एस–सी0/बी0 कॉम0, प्रथम वर्ष, बी0ए0 एल0एल–बी0 के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 के प्रथम एवं द्वितीय सेमिस्टर के छात्र–छात्राएं नामांकन करा सकते हैं । एन0 सी0 सी0 की परेडों में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

(IV) राष्ट्रीय सेवा योजना (N. S. S.) : विद्यार्थियों में अध्ययन के साथ–2 समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना व देश–प्रेम जाग्रत करने एवं समाज के कार्यों को करने की शिक्षा देने के उद्देश्य से यह योजना शिक्षक अधिकारी के निर्देशन में कार्य करती है। इस योजना में छात्रों को प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, बाढ़ समस्या, गाँव की सफाई, नालियों, सड़कों आदि का निर्माण एवं रख–रखाव करना तथा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में समाज की सेवा करना आदि क्रियात्मक शिक्षा दी जाती है । राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण–पत्र केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो स्नातक कक्षाओं के 2 वर्ष में 120 घण्टे प्रतिवर्ष का सेवा कार्य पूर्ण कर लेंगे।

(V) रोवर्स/रेन्जर्स : महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में देश–प्रेम, उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने, ज्वलन्त सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से रोवर्स/रेन्जर्स इकाइयों का संचालन उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं उपनियमों के आधार पर किया जाता है। स्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र रोवर्स एवं छात्राएँ रेन्जर्स के रूप में इसके सदस्य बन सकते हैं। उ0प्र0 सरकार ने विभिन्न सरकारी नौकरियों में रोवर्स/रेन्जर्स प्रशिक्षित छात्र–छात्राओं के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए हैं। साथ ही प्रमाण–पत्र धारक छात्र–छात्राओं को विविध कक्षाओं में प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंक भी प्रदान किए जाते हैं।

(VI) क्रीड़ा : कॉलिज में लगभग सभी ''आउटडोर और इनडोर गेम्स'' की समुचित व्यवस्था है।

1. विश्वविद्यालय की अन्तर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम के सदस्यों को ड्रेस इत्यादि की सुविधा दी जाएगी।
2. प्रत्येक ऐसे खिलाड़ी को जिसका राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की टीम में चयन हुआ हो और वह अन्तर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में खेलने जाता है तो उसको कॉलिज की ओर से ट्रैक सूट दिया जाएगा।

3. किसी भी खिलाड़ी अथवा कप्तान को एक वर्ष में केवल एक ट्रैक सूट दिया जाएगा। दो टीमों का कप्तान नियुक्त होने पर या विश्वविद्यालय की एक से अधिक टीम में चयन होने पर या अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में एक बार से अधिक स्थान पाने पर भी एक ही बार ट्रैक सूट दिया जाएगा।
4. कॉलिज के स्पोर्टस चैम्पियन को ट्रैक सूट दिया जाएगा। यह उसी दशा में दिया जाएगा जब उसे पहले किसी अन्य खेल में न दिया गया हो।
5. खिलाड़ी छात्रों को टी0टी0 बैट एवं बैडमिण्टन रैकिट स्वयं अपना लाना होगा विश्वविद्यालय टीम में चयन होने पर बैडमिण्टन रैकिट एवं टी0टी0 बैट छात्र को 50 प्रतिशत मूल्य पर दिये जा सकते हैं जो विभाग में उपलब्ध हों।
6. कबड्डी, खो–खो खिलाड़ियों को आवश्यकता होने पर ही कैप एवं ऐंकलेट विभाग उपलब्ध करायेगा।
7. जो छात्र ऐसे खेल का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है या पदक विजेता है, जो खेल कॉलिज तथा विश्वविद्यालय में नहीं होता है उस छात्र की प्रार्थना पर क्रीड़ा समिति उसे प्रोत्साहन देने के लिये किसी उचित पुरस्कार को देने की संस्तुति कर सकती है।
8. राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर कॉलिज प्रशासन क्रीड़ा समिति की संस्तुति पर नगद पुरस्कार तथा अन्य सुविधाएँ प्रोत्साहन और सम्मान स्वरूप प्रदान करेगा।
9. विश्वविद्यालय खेलों में पदक प्राप्त या स्थान प्राप्त खिलाड़ियों की पूर्ण ट्यूशन फीस माफ की जाएगी।
10. समस्त खिलाड़ियों को अभ्यास के समय मैदान पर निर्धारित खेल किट में आना अनिवार्य है। कॉलिज में केवल प्रतिभावान, अनुशासित और नियमित अभ्यास सत्र में आने वाले खिलाड़ी छात्रों का ही चयन कॉलिज टीम में होगा और खेल का अच्छा प्रदर्शन करना होगा, अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा तो टीम में उसका चयन नहीं किया जाएगा।
11. ''खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा'' पाठ्यक्रम के प्रयोगात्मक सत्र में समय सारणी के अनुसार उपस्थित होना अनिवार्य है।
12. खेल के मैदान को साफ रखना और उसे गंदा होने से रोकना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है क्योंकि आपके द्वारा फैलाई गन्दगी को आप जैसा व्यक्ति ही साफ करता है'' खेल के मैदान में कागज फाड़कर फेंकना, खाद्य वस्तु खाना तथा उसे फैलाना आदि मना है।
13. छात्रों में ''खेल भावना'' का विकास और उनमें खेल संस्कृति पैदा करने में सहयोग करने एवं प्रेरित करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रीड़ा विभाग द्वारा नामांकित कर विशेष पुरस्कार दिया जाएगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी द्वारा उन्हें सम्मानित कराया जाएगा।
14. महाविद्यालय का खिलाड़ी छात्र अपने से कम उम्र वर्ग एवं स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में कहीं भी खेलता पाया जाएगा तो उसे तत्काल निष्कासित कर दिया जाएगा।
15. सभी खेल सूचना खेल विभाग के नोटिस बोर्ड पर ही लगाई जायेंगी। खेल या अन्य सूचना के लिये नोटिस अवश्य देखें।

(vii) हेल्प डेस्क : छात्रों की महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। जिसमें शिक्षकों की टीम द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जो समस्याऐं विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं, उन समस्याओं के समाधान हेतु महाविद्यालय का एक कर्मचारी निरन्तर विश्वविद्यालय जाकर उन समस्याओं का निस्तारण करता है।

(viii) कॉलिज पत्रिका : कॉलिज पत्रिका 'प्रदीप' छात्रों को स्वतन्त्र लेखन एवं पत्रकारिता के विकास को सुअवसर प्रदान करती है। प्राध्यापकों के निर्देशन में पत्रिका का सम्पादन होता है । छात्र अपनी मौलिक रचनाएँ संपादक को दे सकते हैं।

(ix) महिला प्रकोष्ठ :

धर्मसमाज महाविद्यालय में महिलाओं एवं छात्राओं को सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण, गरिमामय वातावरण बिना किसी लिंग भेद के प्रदान करने हेतु महिला प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। जिसके द्वारा छात्राओं के चहुँमुखी विकास हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनी, सेमिनार तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। छात्राओं की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रकोष्ठ सदेव तत्पर रहता है।

(x) ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल :

कॉलेज का प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल संस्थान का एक अनिवार्य स्तम्भ है। यह सेल लगतार छात्र–छात्राओं को रोजगार प्राप्ति के लिए कौशल का विकास और अंततः रोजगार प्राप्त करने में व उनके कैरियर, लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने का प्रयास करता है। यह छात्र–छात्राओं, संकाय सदस्यों और उद्योगों के बीच एक मजबूत साझेदारी के निर्माण का माध्यम है। ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल का उद्देश्य मुख्यतः छात्रों को सफल नौकरी खोजने में रणनीतियों को विकसित करना और लागू करने में सहायता करना है। शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ कैरियर योजना को सही दिशा प्रदान करने के लिए संकाय सदस्यों, विभाग प्रमुखों और प्रशासन के साथ काम करना है।

महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी

1. मुख्य अनुशासन अधिकारी : प्रो0 रेनू सिंघल
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण : प्रो0 अंजुल सिंह
3. अपर मुख्य अनुशासन अधिकारी (पुरुष) : प्रो0 जे0 पी0 सिंह
4. अपर मुख्य अनुशासन अधिकारी (महिला) : प्रो0 सुनीता गुप्ता

महाविद्यालय के विभिन्न समितियों के समन्वयक

1. समन्वयक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) : प्रो0 मंजू गिरी
2. समन्वयक, राष्टठीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) : प्रो0 अंजुल सिंह
3. समन्वयक, प्रवेश समिति : प्रो0 अंजुल सिंह
4. समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा न्रीति (NEP-2020) : डॉ0 पंकज कुमार वर्मा
5. समन्वयक, समय सारणी : प्रो0 शुभनेश कुमार गोयल
6. समन्वयक, राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय :डॉ0 अमर सिंह
7. समन्वयक, सांस्कृतिक–समिति : डॉ0 नीलम श्रीवास्तव
8. समन्वयक, पत्रिका प्रकाशन समिति : प्रो0 बीना अग्रवाल
9. समन्वयक, वोकेशनल पाठ्यक्रम : डॉ0 विशाल कुमार यादव
10. समन्वयक, सहपाठ्य चर्चा पाठ्यक्रम : डॉ0 सुरेन्द्र पाल सिंह
11. समन्वयक, संस्थानिक नवोन्मेषी परिषद (IIC) : प्रो0 पारुल यादव
12. समन्वयक, परीक्षा समिति : प्रो0 दिलीप गुप्ता

महाविद्यालय की विभिन्न समितियों के प्रभारी

1. प्रो0 इंचार्ज पुस्तकालय : डॉ0 भारत सिंह
2. प्रभारी, भवन समिति : प्रो0 अवनीश कुमार सिंह
3. क्रीड़ा सचिव : प्रो0 अवनीश कुमार सिंह
4. जनसंपर्क अधिकारी, मीडिया प्रभारी : प्रो0 सुनीता गुप्ता
5. जन सूचना अधिकारी : प्रो0 राजेश कुमार
6. प्रभारी, फर्नीचर व्यवस्था : प्रो0 शरतराज सिंह
7. प्रभारी, विद्युत व्यवस्था : प्रो0 राजेश कुमार
8. प्रभारी, जल आपूर्ति : डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार
9. प्रभारी, अतिथि गृह : प्रो0 राजेश कुमार
10. प्रभारी, ऑडिटोरियम : डॉ0 मंजू सिंह
11. प्रभारी, महिला छात्रावास : डॉ0 रेखा तोमर
12. प्रभारी, उद्यान : डॉ0 सुनील कुमार
13. प्रभारी, स्वच्छता : डॉ0 सरोज कुमार
14. प्रभारी, गर्ल्स कॉमन रूम : डॉ0 नीलम श्रीवास्तव
15. प्रभारी, हेल्प डेस्क : डा0 अजय कुमार
16. प्रभारी, ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट प्रकोष्ठ : डॉ0 मोनिका वार्ष्णेय
17. प्रभारी, महिला प्रकोष्ठ : डॉ0 नीलम श्रीवास्तव
18. प्रभारी, एन.सी.सी. (महिला) : डॉ0 मंजू सिंह
19. प्रभारी, एन.सी.सी. (पुरुष) : डॉ0 विपिन कुमार शर्मा
20. प्रभारी, राष्ट्रीय सेवा योजना : डॉ0 राजीव शर्मा
    : डॉ0 रेखा तोमर
    : डॉ0 कृष्ण कुमार सिंह
21. प्रभारी, समय सारणी (विज्ञान संकाय) : डॉ0 सत्यम कुमार शर्मा
    : डॉ0 चन्द्रकान्ता
22. प्रभारी समय सारणी (कला संकाय) : डॉ0 पंकज कुमार वर्मा
    : डॉ0 मंजू सिंह
23. प्रभारी समय सारणी (वाण्ज्य संकाय) : प्रो0 पी0 के0 जैन
24. प्रभारी, समय सारणी (विधि संकाय) : प्रो0 हरीश कुमार शर्मा
25. प्रभारी, समय सारणी (शिक्षक शिक्षा) : डॉ0 उमेन्द्र सिंह

महाविद्यालय के विभिन्न समितियों के समन्वयक

1. संयोजक, प्रवेश समिति विज्ञान संकाय (पी.सी.एम.) : प्रो0 जे0 के0 सिंह
2. संयोजक, प्रवेश समिति विज्ञान संकाय (जेड.बी.सी.) : प्रो0 विनय कुमार
3. संयोजक, प्रवेश समिति कला संकाय : प्रो0 ईश्वर चन्द्र गुप्ता
4. संयोजक, प्रवेश समिति वाणिज्य संकाय : प्रो0 पी0 के0 जैन
5. संयोजक, प्रवेश समिति विधि संकाय : प्रो0 हरीश कुमार शर्मा
6. संयोजक, प्रवेश समिति शिक्षक शिक्षा : डॉ0 जितेन्द्र कुमार
7. संयोजक, प्रवेश समिति बी.बी.ए. : डॉ0 योग्यता सिंह
8. संयोजक, प्रवेश समिति बी.सी.ए. : डॉ0 मोनिका वार्ष्णेय
9. संयोजक, आतंरिक परीक्षा विज्ञान संकाय : प्रो0 कमल सिंह
10. संयोजक, आतंरिक परीक्षा कला संकाय: प्रो0 महमूद आलम
11. संयोजक, लघु शोध परियोजना : प्रो0 शुभनेश कुमार गोयल

14. शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर वर्ग

प्रो0 मुकेश कुमार भारद्वाज, प्राचार्य

हिन्दी विभाग

1. प्रो0 वेदवती राठी — प्रोफेसर एवं प्रभारी
2. डॉ0 राज मणि सरोज — असिस्टेंट प्रो0
3. डॉ0 नन्द राम — असिस्टेंट प्रो0
4. डॉ0 कमलेश सिंह — असिस्टेंट प्रो0
5. डॉ0 राम कृष्ण पाण्डेय — असिस्टेंट प्रो0
6. श्री रंजीत — असिस्टेंट प्रो0
7. श्रीमती दीपमाला — असिस्टेंट प्रो0
8. डॉ0 नागेन्द्र प्रसाद सिंह पटेल — असिस्टेंट प्रो0
9. डॉ0 नन्द कुमार तिवारी — असिस्टेंट प्रो0

अंग्रेजी विभाग

1. प्रो0 बीना अग्रवाल — प्रोफेसर एवं प्रभारी
2. डॉ0 सविता वार्ष्णेय — एसोसिएट प्रो0
3. डॉ0 नीलम श्रीवास्तव — असिस्टेंट प्रो0
4. डॉ0 हृदयेश कुमार — एसोसिएट प्रो0
5. डॉ0 सुलभ चतुर्वेदी — असिस्टेंट प्रो0
6. रिक्त–1 पद

संस्कृत विभाग

1. डॉ0 कमलेश सिंह — कार्यवाहक प्रभारी
2. रिक्त – 4 पद

इतिहास विभाग

1. प्रो0 राजेश कुमार — प्रोफेसर एवं प्रभारी

अर्थशास्त्र विभाग

1. प्रो0 इन्दू वार्ष्णेय — प्रोफेसर
2. प्रो0 महमूद आलम — प्रोफेसर एवं प्रभारी
3. प्रो0 जुगेन्द्र पाल सिंह — प्रोफेसर
4. डॉ0 रुखसाना बेगम — एसोसिएट प्रो0
5. रिक्त–1 पद

सैन्य विज्ञान विभाग

1. प्रो0 हरेन्द्र सिंह — प्रोफेसर एवं प्रभारी
2. डॉ0 पुष्पेन्द्र सिंह यादव — एसोसिएट प्रो0
3. डॉ0 पंकज कुमार वर्मा — असिस्टेंट प्रो0
4. डॉ0 अमर सिंह — असिस्टेंट प्रो0
5. डॉ0 विपिन कुमार शर्मा — असिस्टेंट प्रो0
6. रिक्त – 2 पद

भूगोल विभाग

1. डॉ0 भारत सिंह — एसोसिएट प्रो0 एवं प्रभारी
2. प्रो0 शाहिद इमाम — प्रोफेसर
3. प्रो0 अवनीश कुमार सिंह — प्रोफेसर
4. श्री इज़हार अहमद — एसोसिएट प्रो0
5. श्री जितेन्द्र शर्मा — असिस्टेंट प्रो0
6. श्री ललित कटारा — असिस्टेंट प्रो0
7. रिक्त पद–1

राजनीति शास्त्र विभाग

1. श्री निर्मेश कुमार सिंह सेंगर — एसोसिएट प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 दशरथ कुमार — असिस्टेंट प्रो0
3. रिक्त पद–2

समाज शास्त्र विभाग

1. डॉ0 नरेन्द्र कुमार जोशी — एसोसिएट प्रो0 एवं प्रभारी
2. श्री पुनीत कुमार सिंह — एसोसिएट प्रो0
3. श्री ओसवाल चाहर — असिस्टेंट प्रो0
4. श्री राजकुमार भारती — असिस्टेंट प्रो0

मनोविज्ञान विभाग

1. डॉ0 मंजू सिंह — असिस्टेंट प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 दिनेश कुमार गुप्त — असिस्टेंट प्रो0
3. डॉ0 मोइनुद्दीन — असिस्टेंट प्रो0
4. डॉ0 रेखा तोमर — असिस्टेंट प्रो0
5. रिक्त पद–3

चित्रकला विभाग

1. प्रो0 सुनीता गुप्ता — प्रोफेसर एवं प्रभारी
2. प्रो0 ईश्वर चन्द्र गुप्ता — प्रोफेसर
3. श्री सैयद अली जाफर — एसोसिएट प्रो0
4. श्री रुचिन वर्मा — असिस्टेंट प्रो0

शिक्षा शास्त्र विभाग

1. प्रो0 प्रदीप कुमार — प्रोफेसर एवं प्रभारी
2. श्री संजय कुमार — असिस्टेंट प्रो0
3. डॉ0 आशुतोष तिवारी — असिस्टेंट प्रो0

शिक्षक शिक्षा विभाग

1. प्रो0 अंजना — प्रोफेसर
2. प्रो0 सरोज बाला — प्रोफेसर एवं प्रभारी
3. डॉ0 उमेन्द्र सिंह — असिस्टेंट प्रो0
4. डॉ0 सुरेन्द्र पाल सिंह — असिस्टेंट प्रो0
5. डॉ0 जितेन्द्र कुमार — असिस्टेंट प्रो0
6. श्री सचिन कुमार वर्मा — असिस्टेंट प्रो0
7. श्री अनुराग मिश्रा — असिस्टेंट प्रो0
8. श्रीमती दुर्गा कुमारी — असिस्टेंट प्रो0
9. डॉ0 देवेन्द्र कुमार सिंह — असिस्टेंट प्रो0
10. रिक्त पद–3

गणित विभाग

1. प्रो0 शुभनेश कुमार गोयल — प्रोफेसर एवं प्रभारी
2. प्रो0 प्रवीन राना — प्रोफेसर
3. प्रो0 ज्योत्सना चन्देल — प्रोफेसर

4. डॉ0 विशाल कुमार यादव — असिस्टेंट प्रो0
5. श्रीमती हेमलता सहाय — असिस्टेंट प्रो0
6. डॉ0 सत्यम् कुमार शर्मा — असिस्टेंट प्रो0

भौतिकी विभाग

1. प्रो0 मंजू गिरि — प्रोफेसर एवं प्रभारी
2. प्रो0 जसकरन सिंह — प्रोफेसर
3. प्रो0 विनय कुमार सिंह (अवकाश पर) — प्रोफेसर
4. प्रो0 हरिकेश सिंह — प्रोफेसर
5. प्रो0 कविशंकर वार्ष्णेय — प्रोफेसर
6. डॉ अजय कुमार — असिस्टेंट प्रो0
7. श्री अमित कुमार — असिस्टेंट प्रो0
8. डॉ0 सौरभ कुमार सेंगर — असिस्टेंट प्रो0
9. रिक्त पद–3

रसायन विज्ञान विभाग

1. प्रो0 सुभाष चौधरी — प्रोफेसर
2. प्रो0 रेनू सिंघल — प्रोफेसर एवं प्रभारी
3. प्रो0 अनीता ए0 पाण्डेय — प्रोफेसर
4. प्रो0 अंजुल सिंह — प्रोफेसर
5. प्रो0 दिलीप गुप्ता — प्रोफेसर
6. प्रो0 विनय कुमार श्रीवास्तव — प्रोफेसर
7. प्रो0 अंशु अग्रवाल — प्रोफेसर
8. डॉ0 बीना चौहान — असिस्टेंट प्रो0
9. डॉ0 शरद कुमार सिंह चौहान — असिस्टेंट प्रो0
10. डॉ0 आभा गुप्ता — असिस्टेंट प्रो0
11. डॉ0 राजीव कुमार शर्मा — असिस्टेंट प्रो0
12. डॉ0 राम निवास — असिस्टेंट प्रो0
13. डॉ0 देवेन्द्र कुमार — असिस्टेंट प्रो0
14. डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह — असिस्टेंट प्रो0
15. श्री विदिव्य — असिस्टेंट प्रो0
16. डॉ0 चितरंजन भारती — असिस्टेंट प्रो0
17. रिक्त – 7 पद

जन्तु विज्ञान विभाग

1. प्रो0 शीबा — प्रोफेसर एवं प्रभारी
2. प्रो0 विनय कुमार — प्रोफेसर
3. प्रो0 वीरेन्द्र कुमार — प्रोफेसर
4. प्रो0 पारूल यादव — प्रोफेसर
5. प्रो0 मीरा सिंह — प्रोफेसर
6. डॉ0 बाबूराम सिंह — असिस्टेंट प्रो0
7. डॉ0 रूचि अग्रवाल — असिस्टेंट प्रो0
8. डॉ0 पवन कुमार — असिस्टेंट प्रो0
9. डॉ0 पूजा कुमारी — असिस्टेंट प्रो0
10. डॉ0 फहद अली — असिस्टेंट प्रो0
11. प्रो0 मनीष माहेश्वरी — प्रोफेसर
12. डॉ0 आकाश वार्ष्णेय — एसोसिएट प्रो0
13. रिक्त – 1 पद

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. प्रो0 कमल सिंह — प्रोफेसर एवं प्रभारी
2. प्रो0 मुकेश कुमार भारद्वाज (अवकाश पर) — प्रोफेसर
3. प्रो0 प्रबोध श्रीवास्तव (अवकाश पर) — प्रोफेसर
4. प्रो0 आस्तिक कुमार वत्स — प्रोफेसर
5. श्री सुनील कुमार — असिस्टेंट प्रो0
6. डॉ0 ललित कुमार — असिस्टेंट प्रो0
7. श्री संदीप कुमार यादव — असिस्टेंट प्रो0
8. श्री हरेन्द्र सिंह — असिस्टेंट प्रो0
9. डॉ0 चन्द्रकान्त — असिस्टेंट प्रो0
10. रिक्त – 5 पद

भूगर्भ िवज्ञान िवभाग

1. प्रो0 वाई0 पी0 सिंह — प्रोफेसर एवं प्रभारी
2. श्री राजन शुक्ला — असिस्टेंट प्रो0
3. रिक्त – 4 पद

विधि विभाग

1. प्रो0 हरीश कुमार शर्मा — प्रोफेसर एवं प्रभारी
2. प्रो0 शरत राज सिंह — प्रोफेसर
3. डॉ0 मीनाक्षी गुप्ता — असिस्टेंट प्रो0
4. डॉ0 सरोज कुमार — असिस्टेंट प्रो0
5. डॉ0 भुवनेन्द्र सिंह आर्य — असिस्टेंट प्रो0
6. रिक्त – 6 पद

वाणिज्य संकाय

1. प्रो0 पी0 के0 जैन — प्रोफेसर एवं प्रभारी
2. रिक्त–2 पद

1. शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विभाग

1. रिक्त – 1 पद

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों की सूची :

1. वाणिज्य विभाग :

1. डॉ0 मोहित कुमार सक्सैना — असिस्टेंट प्रो0
2. डॉ0 जे0के0 शर्मा — असिस्टेंट प्रो0
3. डॉ0 रश्मि अग्रवाल — असिस्टेंट प्रो0
4. डॉ0 गिरीश बाबू — असिस्टेंट प्रो0
5. डॉ0 राजेश कुमार कुशवाह — असिस्टेंट प्रो0

2. BCA विभाग

1. डॉ0 मोनिका वार्ष्णेय — असिस्टेंट प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ० (श्रीमती) कुमुद — असिस्टेंट प्रो0 एवं सह प्रभारी
3. श्री आशीष प्रकाश — असिस्टेंट प्रो0
4. श्रीमती नूपुर सिंह — असिस्टेंट प्रो0
5. श्री अंकित उपाध्याय — असिस्टेंट प्रो0
6. श्रीमती ऊषा गान्धार — असिस्टेंट प्रो0
7. श्रीमती मीनाक्षी — असिस्टेंट प्रो0
8. श्री प्रतीक अग्रवाल — असिस्टेंट प्रो0

3. BBA विभाग

1.	डॉ0 योग्यता सिंह	असिस्टेंट प्रो0 एवं प्रभारी
2.	डॉ0 अस्मिता श्रीवास्तव	असिस्टेंट प्रो0
3.	डॉ0 स्वाती जैन	असिस्टेंट प्रो0
4.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	असिस्टेंट प्रो0
5.	श्री अंकित अग्रवाल	असिस्टेंट प्रो0

4. B.A. LL.B.

1.	डॉ0 अनूप कुमार राघव	असिस्टेंट प्रो0
2.	डॉ0 कृष्ण कुमार	असिस्टेंट प्रो0
3.	डॉ0 सिम्मी	असिस्टेंट प्रो0
4.	डॉ0 कविता गोयल	असिस्टेंट प्रो0
5.	श्री मुदित शर्मा	असिस्टेंट प्रो0
6.	श्री यतेन्द्र पाल सिंह	असिस्टेंट प्रो0

5. PGDBM

1.	डॉ0 आर0 रहमान	असिस्टेंट प्रो0

तृतीय श्रेणी-कार्यालय

1.	श्री रविकान्त सविता	आशु लिपिक
2.	श्री तेजवीर सिंह	वरिष्ठ सहायक
3.	श्री राजीव कुमार	कनिष्ठ सहायक
4.	श्री रवि चन्द्रा	कनिष्ठ सहायक
5.	श्री विनोद कुमार	कनिष्ठ सहायक

तृतीय श्रेणी-पुस्तकालय :

1.	श्री सुबोध जौहरी	पुस्तकालय सहायक
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	पुस्तकालय सहायक
3.	श्री चन्द्रकेश सिंह	पुस्तकालय सहायक
4.	श्रीमती कान्ती	पुस्तकालय सहायक

तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला

1.	श्री नरेन्द्र पाल सिंह	प्रयोगशाला सहायक
2.	श्री बल्लू सिंह	प्रयोगशाला सहायक
3.	श्री राकेश कुमार	प्रयोगशाला सहायक
4.	श्री दीपक कुमार	प्रयोगशाला सहायक
5.	श्री प्रवीन कुमार	प्रयोगशाला सहायक
6.	श्री बिजेन्द्र कुमार सिंह	प्रयोगशाला सहायक

चतुर्थ श्रेणी स्टाफ

1.	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	पुस्तकालय परिचर
2.	श्री राम प्रकाश	प्रयोगशाला परिचर
3.	श्रीमती उमेश कुमारी	परिचर
4.	श्री रामवीर सिंह	परिचर
5.	श्री राजकुमार	प्रयोगशाला परिचार
6.	श्री कोमल सिंह	परिचर
7.	श्री जंग बहादुर	अर्दली
8.	श्री विजेन्द्र पाल सिंह	प्रयोगशाला परिचर
9.	श्री मैम्बर सिंह	परिचर
10.	श्री सतीश कुमार सिंह	पुस्तकालय परिचर
11.	श्री सत्यप्रकाश	परिचर
12.	श्री श्यामवीर सिंह	प्रयोगशाला परिचर
13.	श्री गनेश पाल सिंह	प्रयोगशाला परिचर
14.	श्री प्रेमशंकर पाली	प्रयोगशाला परिचर
15.	श्री अशोक	स्वीपर
16.	श्री करन पाल सिंह	गैसमेन
17.	श्री लालू बाज	प्रयोगशाला परिचर
18.	श्री रामभूल सिंह	चौकीदार
19.	श्री सन्तोष कुमार	प्रयोगशाला परिचर
20.	श्री कैलाश चन्द्र	वाटरमैन
21.	श्री अनिल कुमार मौर्य	पुस्तकालय परिचर
22.	श्री महेन्द्र पाल सिंह	माली
23.	श्री पन्नालाल	प्रयोगशाला परिचर
24.	श्री राजकुमार भारती	चौकीदार
25.	श्री श्रीकान्त सविता	पुस्तकालय परिचर
26.	श्री प्रमोद कुमार	प्लम्बर
27.	श्री तेजवीर सिंह	प्रयोगशाला परिचर
28.	श्री बृजराज सिंह	प्लम्बर
29.	श्री मनोज कुमार	स्वीपर
30.	श्रीमती उर्मिला	परिचर
31.	श्री दिगम्बर सिंह	प्रयोगशाला परिचर
32.	श्री प्रदीप कुमार	प्रयोगशाला परिचर
33.	श्री आमोद कुमार सिंह	परिचर
34.	श्री अनिल कुमार	प्रयोगशाला परिचर
35.	श्री गोविन्द बाबू वर्मा	प्रयोगशाला परिचर
36.	श्री धर्मेन्द्र कुमार मौर्य	माली
37.	श्री शशीपाल सिंह	प्रयोगशाला परिचर
38.	श्री अरुन कुमार	चौकीदार
39.	श्रीमती डौली	प्रयोगशाला परिचर
40.	श्री धर्मवीर सिंह	प्रयोगशाला परिचर
41.	श्री दुर्गेश कुमार	परिचर
42.	श्री ओमवीर सिंह	स्वीपर

वार्षिक शुल्क विवरण तथा सारणी

विद्यार्थियों द्वारा सत्र 2024–25 में निम्नवत वार्षिक शुल्क जमा करना होगा

स्नातक स्तर

1.	बी0कॉम0 प्रथम वर्ष	₹ 4346.00
2.	बी0कॉम0 द्वितीय वर्ष	₹ 4046.00
3.	बी0कॉम0 तृतीय वर्ष	₹ 3896.00
4.	**बी०ए० प्रथम वर्ष**	
	बिना प्रयोगात्मक विषय	₹ 4146.00
	एक प्रयोगात्मक विषय	₹ 4811.00
	दो प्रयोगात्मक विषय	₹ 5051.00
	तीन प्रयोगात्मक विषय	₹ 5291.00
5.	**बी०ए० द्वितीय वर्ष**	
	बिना प्रयोगात्मक विषय	₹ 3846.00
	एक प्रयोगात्मक विषय	₹ 4511.00
	दो प्रयोगात्मक विषय	₹ 4751.00
	तीन प्रयोगात्मक विषय	₹ 4991.00
6.	**बी०ए० तृतीय वर्ष**	
	बिना प्रयोगात्मक विषय	₹ 4696.00
	एक प्रयोगात्मक विषय	₹ 4361.00
	दो प्रयोगात्मक विषय	₹ 4601.00
	तीन प्रयोगात्मक विषय	₹ 4841.00
7.	**बी०एस-सी०**	
	प्रथम वर्ष (PCM/PMG/ZBC/ZBG)	₹ 5301.00
	द्वितीय वर्ष (PCM/PMG/ZBC/ZBG)	₹ 5001.00
	तृतीय वर्ष (PCM/PMG/ZBC/ZBG) (केवल दो प्रयोगात्मक विषय)	₹ 4611.00
8.	**एल०एल०बी०**	
	प्रथम वर्ष	₹ 4330.00
	द्वितीय वर्ष	₹ 4030.00
	तृतीय वर्ष	₹ 4380.00
9.	**बी०एड०**	
	प्रथम वर्ष (2024–26)	₹ 3636.00
	द्वितीय वर्ष (2024–26)	₹ 3686.00

परास्नातक स्तर

10.	**एम0ए0 प्रथम वर्ष** (बिना प्रयोगात्मक विषय)	₹ 4702.00
11.	**एम0ए0 प्रथम वर्ष** (प्रयोगात्मक विषय)	₹ 5367.00
12.	**एम0ए0 द्वितीय वर्ष** (बिना प्रयोगात्मक विषय)	₹ 4752.00
13.	**एम0ए0 द्वितीय वर्ष** (प्रयोगात्मक विषय)	₹ 5417.00
14.	**एम0एस–सी0 प्रथम वर्ष** (रसायन विज्ञान)	₹ 5452.00
15.	**एम0एस–सी0 द्वितीय वर्ष** (रसायन विज्ञान)	₹ 5502.00
16.	**एम0एस–सी0 प्रथम वर्ष** (गणित)	₹ 5152.00
17.	**एम0एस–सी0 द्वितीय वर्ष** (गणित)	₹ 5392.00
18.	**एम0एस–सी0 प्रथम वर्ष** (भूगर्भ, भौतिक, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान)	₹ 5452.00
19.	**एम0एस–सी0 द्वितीय वर्ष** (भूगर्भ, भौतिक, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान)	₹ 4444.00
20.	**एम0एड0 प्रथम वर्ष** (2024–2026)	₹ 4494.00
21.	**एम0एड0 द्वितीय वर्ष** (2024–2026)	₹ 4282.00

नोट : १. शिक्षण शुल्क स्नातक रु0 132/–, परास्नातक रु0 180/–, बी0एड0/एम0एड0/एल0एल0बी0 रु0 216/– छात्राओं से शासनादेशानुसार वसूल नहीं किया जायेगा। 2. फीस का विस्तृत विवरण कॉलिज की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

13. धर्म समाज कॉलिज, अलीगढ़ (उ० प्र० शासन एवं राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ द्वारा निर्धारित शुल्क सारणी 2024-2025)

क्र. सं.	कक्षाएँ / शुल्क के प्रकार	बी.ए./बी.कॉम प्रवेश के समय	बी.एस–सी. प्रवेश के समय	एम.ए./एम.एस–सी. (गणित) प्रवेश के समय	एम.एस–सी. अन्य विषय प्रवेश के समय	बी.एड. प्रवेश के समय	एम.एड. प्रवेश के समय	विधि (त्रिवर्षीय) प्रवेश के समय
	वार्षिक शुल्क							
1	विकास	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2	प्रवेश	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3	पंजीकरण	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
4	ग्रीष्म एवं शीत	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
5	छात्र कल्याण कोष	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	18.00	12.00
6	पंखा	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
7	परिचय पत्र	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
8	पत्रिका	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
9	वार्षिकोत्सव	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
11	परीक्षा	2000.00	2000.00	3000.00	3000.00	1900.00	2700.00	2300.00
12	पुस्तकालय	30.00	30.00	38.00	38.00	30.00	38.00	30.00
13	विज्ञान प्रांसगिक प्रभार	–	35.00	–	50.00	–	–	–
14	कॉलिज भवन रख–रखाब शुल्क	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
15	पुस्तकालय प्रासंगिक प्रभार	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
16	शिक्षण	132.00	132.00	180.00	180.00	216.00	216.00	216.00
17	मँहगाई भत्ता	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
18	निर्धन छात्र सहायता कोष	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
19	क्रीड़ा	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
20	बी0सी0आई0 फीस	–	–	–	–	–	–	300.00
21	बोकेशनल विषय	500.00	500.00	–	–	–	–	–
22	रोवर्स/रेजर्स	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
23	इन्टरनेट शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
24	पर्यावरण शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
25	प्राथमिक चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	कुल योग	3848.00	3883.00	4404.00	4454.00	3338.00	4146.00	4032.00
उपरोक्त के अतिरिक्त शुल्क निम्नवत है :-								
नोट : 1. कला प्रासंगिक प्रभार (प्रो० विषय के छात्रों वार्षिक) 2. कला प्रयोगात्मक विषय		25.00 20.00 प्रतिमाह प्रति प्रयो० विषय	20.00 प्रतिमाह प्रति प्रयो० विषय	25.00 20.00 प्रतिमाह	रसायन विज्ञान 25.00 20.00 जन्तु विज्ञान वनस्पति विज्ञान भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान प्रतिमाह			

1. बी0ए0 के ऐसे छात्र जिन्होंने प्रयोगात्मक विषय लिया है, उनके परीक्षा शुल्क रु0 400/– अतिरिक्त लिया जायेगा। 2. नामांकन शुल्क बी0ए0, बी0कॉम0 एवं बी0एस–सी0 के छात्रों को रु0 300/– मात्र अलग से देना होगा। 3. एम.ए., एम.एससी., एलएल.बी., बी.एड., एम.एड. प्रथम वर्ष के वे छात्र जो अन्य विश्व वि0 से हैं, उन्हें रू0 300/– नामांकन शुल्क अलग से देना होगा। 4. टी0सी0 शुल्क रु0 2.00 कॉलिज से स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करते समय देय है। 5. **यदि उ0प्र0 शासन, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, एवं राजा महेन्द्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा शुल्क परिवर्तित होकर आती है उस दशा में शुल्क उसके अनुसार देय होगी।**